

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

हिमाचल प्रदेश विधान सभा की बैठक वीरवार, 31 मार्च, 2016 को अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

31.03.2016/1100/जेएस/एस/1

Speaker: Question Hour begins. श्री महेश्वर सिंह।

माननीय सदस्य जी आप बैठिए। What do you want to say? श्री रविन्द्र सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं?

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लगातार पिछले सोमवार से एक विषय यहां पर उठ रहा है और जिसका नोटिस नियम-67 के अन्तर्गत दिया गया था। सारे काम को स्थगित करके, सबसे पहले जो ई.डी. ने यहां पर मुख्य मंत्री के खिलाफ सारे कागजात इकट्ठे करके वहां पर जो तलवार इनके ऊपर लटकी है उसके ऊपर हम चर्चा चाहते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है कि श्री वीरभद्र सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार और यह कई अखबारों में भी आया है। आज अध्यक्ष महोदय, इससे भी ज्यादा संगीन मामला अब तो प्रदेश के इन विधायकों को भी इन पर विश्वास नहीं रहा है।

Speaker: Please don't make any statement and don't show any paper in the House. You are not allowed to show any paper in this House. I will not record. Not to be recorded. You are not allowed to bring this paper inside the Assembly. This is very wrong. I told you that this case is subjudice and ED is also working under some norms. Let the ED works. This is not our job to discuss the subjudice matter. If you want to say something, we will not record the statement. No statement can be recorded regarding this.

_____(व्यवधान)____

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

31.03.2016/1105/SS-AS/1

Speaker: No, not at all. If you adopt this attitude, I have to resolve to some other means. This is not the way that you bring the paper in the Assembly and you just go on reading here. This is not the business. When I said many times that this is a subjudice case and you can't discuss the matter inside the House. Why do you take it day in and day out? ---(**interruption**)--

No, I won't allow. I have once again rejected your motion. Day before yesterday I have rejected; Yesterday, I have rejected; Today also there is no motion and I will not allow, sorry. ---(**Interruption**)---

संसदीय कार्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल शुरू करवाया जाए। ---(**व्यवधान**)---

Speaker: Please no, not at all. I will not listen to you. This is not the time to listen anybody. This is the time of Question Hour.

(विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर चर्चा की मांग करने लगे।)

31.03.2016/1105/SS-AS/2

प्रश्न संख्या: 3093

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो मान्यवर मंत्री महोदय ने सूचना सभापटल पर रखी है मैंने उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा है। आपने कहा है कि हरित क्रांति को बढ़ावा देने हेतु शांता कुमार जी की सरकार ने "वन लगाओ रोजी कमाओ" योजना शुरू की थी और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे थे। लेकिन 1994 में आपने कुछ तकनीकी कारणों से, उस वक्त आपकी ही सरकार थी, इस योजना को स्थगित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे कौन-से तकनीकी

कारण हैं? अगर इसमें कमी थी तो उसको दूर करते। इसमें जो-जो अच्छी चीजें थीं उनको रहने देते, बाकियों को अमेंड कर लेते लेकिन आपने पूरी-की-पूरी योजना बंद कर दी, इसके क्या कारण थे?

वन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जैसे विधायक साहब ने कहा, यह इनकी चिन्ता का विषय है और हमारी भी चिन्ता का विषय था। लेकिन जो कंडीशन उसमें लगाई थी, उसको वह फुलफिल नहीं करती थी और उसके मुताबिक इसको बंद कर दिया गया था। -- (व्यवधान)--

Speaker: Please listen to me. मेरी बात सुनिये। आप शोर मत मचाओ, सिर्फ एक सदस्य बोले। आप सभी सदस्य एक साथ बोल रहे हैं, उसे मैं नहीं समझ सकता। माननीय धूमल जी कुछ बोलना चाहते हैं।

31.03.2016/1105/SS-AS/3

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, सोमवार से लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बहुत गम्भीर स्थिति है। पहली बार किसी सीटिंग चीफ मिनिस्टर की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और यह मामला समाचार पत्रों में, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुखता से छप रहा है, चल रहा है। आप यह कहकर अपना निर्णय देते हैं कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती। जब इसमें इलैक्ट्रॉनिक मीडिया चर्चा कर सकता है --(व्यवधान)--

अध्यक्ष: वे चर्चा नहीं कर रहे हैं। वे उस पर बात कर रहे हैं।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है। प्रिंट मीडिया में आ रहा है। जो crisis of confidence है वह सत्तारूढ़ दल में पैदा हो गया है।

जारी श्रीमती के०एस०

31.03.2016/1110/केएस/डीसी/1

प्रो० प्रेम कुमार धूमल जारी-----

कल स्पेशल बैठक बुलाकर सभी से हस्ताक्षर करवाए गए कि आपका पूरा विश्वास मुख्य मंत्री पर है या नहीं है? यह सब क्यों हो रहा है? जो अनिश्चितता का दौर चला हुआ है, इससे आम आदमी परेशान है, प्रदेश की जनता परेशान है। अगर मीडिया चर्चा नहीं कर सकता तो सदन तो चर्चा कर सकता है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमने डिमांड दी है, नोटिस दिया है उसको स्वीकार करें और चर्चा अलाऊ करें। जो तथ्य हैं वे सामने आए। बाहर तो मुख्य मंत्री भी जवाब दे रहे हैं। अन्य स्टेटमेंट्स भी आ रही है। हम भी बाहर बोल रहे हैं तो कोई बात छिपी तो है नहीं जो यहां बात हो नहीं सकती तो सदन का यह प्रिविलेज है कि यहां चर्चा हो इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें चर्चा अलाऊ कर दी जाए।

अध्यक्ष: बिन्दल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, क्राईसिज़ ऑफ काँफिडेंस कोई नहीं है। अनिश्चितता का कोई वातावरण नहीं है। ----(व्यवधान)----

डॉ० राजीव बिन्दल: अग्निहोत्री जी, आप बाद में बोलिएगा। अभी मुझे समय दिया गया है। ----(व्यवधान)----

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्टेटमेंट नहीं दीजिए, don't make any statement. अपनी बात कहें।

डॉ० राजीव बिन्दल: अध्यक्ष महोदय, विषय ऐसा है कि जिस तरह की गम्भीर स्थिति है, सरकार को बहुमत हासिल करने के लिए विधायकों के हस्ताक्षर करवाकर दिल्ली भेजने पड़े। इस समय सदन चल रहा है तो सबसे पहले सदन का अधिकार है चर्चा करने का और जब यह इतना गम्भीर मामला है तो सदन में चर्चा होनी चाहिए और फिर उस सम्बन्ध में सरकार वहां पर जवाब दें। अगर सरकार को लगता है कि हम मैजोरिटी में है तो वह जवाब दें। अगर सरकार को लगता है, हमने गलत नहीं किया है तो जवाब

दें परन्तु नेशनल मीडिया में चलता रहे और हम सदन चल रहा है

31.03.2016/1110/केएस/डीसी/2

उसके बावजूद भी यहां पर चर्चा न कर सकें यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है। अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और चर्चा चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आप मोशन रिजेक्ट कर चुके हैं इसलिए निवेदन है कि प्रश्नकाल आरम्भ करवाया जाए।

अध्यक्ष: एक मिनट, बिन्दल जी ने जो बात की है उसका मुझे जवाब देने दीजिए। मेरा आपसे आग्रह है कि मेहरबानी करके जो मैं बोलता हूं उसको आप स्पीकर की रूलिंग समझें। उसमें अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोलिए लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, जो अखबारों में निकल रहा है, आप पूरी बात सुन लें। अखबारों में जो निकल रहा है वह तथ्य या एविडेंस जो है उसमें वह फैसला नहीं है। वह तो एक ई0डी0 या कोई ऑर्गेनाईजेशन है वह अपने तथ्य वहां से निकाल रही है, एविडेंसिज़ बता रही है, वह अखबार में आ रहा है ,that is not a decision.----(व्यवधान)---- Please don't disturb me. रवि जी, आप यहां पर अखबार नहीं लहरा सकते। This is also wrong . You cannot bring this paper inside the Assembly. दूसरी बात यह है कि जब मैंने परसों भी नियम-67 के अंतर्गत इस चर्चा के लिए मना कर दिया था और मैंने रूलिंग दे दी कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती है तो you should be satisfied with that. तीन दिन हो गए हैं और आज चौथा दिन है, फिर आपने वही शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि अखबारों में तो आता रहता है। अखबारों में उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। अक्यूज़ भी नहीं बनाया है उन्हें। उनकी कोई पूछताछ नहीं हुई है, उनकी कोई एविडेंस नहीं हुई है। वह तो जो उनको मिल रहा है वह अखबारों में भेज रहे हैं। आपको मैं याद करवाना चाहता हूं कि यही मामला पिछले साल भी सुलगा था। तब यह कोर्ट केस नहीं था और आप वहां पर placard लगा कर आते रहे। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। आप बोलते रहे तो भी कुछ नहीं कहा क्योंकि at that time the matter was not sub-judice and now it is sub-judice. इसलिए मैं अलाऊ नहीं करता और नियम-67 के अंतर्गत मैंने यह रिजेक्ट किया है। It stands rejected और आज भी मैं अलाऊ नहीं

करूंगा। प्रश्नकाल आरम्भ।----(व्यवधान)---- आप बार-बार क्या कह रहे हैं?
भारद्वाज जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

31.03.2016/1110/केएस/डीसी/3

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दी है। हम आपका और इस पद का सम्मान करते हैं। जो आपकी रूलिंग है वह सभी के लिए सम्माननीय है। आज विषय हट कर है। जैसा माननीय विपक्ष के नेता ने यहां पर कहा कि आज क्राईसिज़ ऑफ कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो गए हैं क्योंकि लोकतंत्र बहुमत और अल्पमत के आधार पर चलता है। हाऊस चल रहा है, हाऊस में इनके विधायकों को , इनके अध्यक्ष सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को आ कर इनसे हस्ताक्षर लेने पड़ रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

31.3.2016/1115/av/dc/1

श्री सुरेश भारद्वाज----- जारी

और इंडिपेंडेंट सदस्यों के हस्ताक्षर भी ले रहे हैं। उसके बाद सोनिया गांधी के पास जा रहे हैं। इसलिए सदन में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि सदन के नेता के पास कॉन्फिडेंस है या नहीं है। सदन के नेता जब कॉन्फिडेंस ही खो चुके हैं, अपनी पार्टी का ही कॉन्फिडेंस खो चुके हैं और आप कह रहे हैं कि इस स्थिति में विधान सभा चर्चा भी नहीं कर सकती। मेरा मानना यह है कि इस विषय पर चर्चा अलाउ की जाए।

Speaker: Please don't disturb.

Health & Family Welfare Minister: Hon'ble Speaker, Sir, this House is known for its dignity. We can say that this House is the best in the Country. The standard of debate is very high. So far as the allegation of the Opposition that there is 'crisis of confidence' in the Congress Party is

concerned, I strongly refute it. This is absolutely wrong. This allegation is unwarranted. Today we are going to pass the Budget. If they have strength then they can show their strength on the Floor of the House. So far as the holding of the Congress Legislative Party meeting is concerned, during Budget Session this is a precedent. When they were in power they used to hold meeting everyday in the morning. If we have held this meeting yesterday evening, I think they should not have any objection. So far as the confidence with the Chief Minister is concerned, Congress is united. We are united under the leadership of Mrs. Sonia Ghandhiji and we are united with Chief Minister. So there is no question of 'crisis of confidence' in the Congress Party. Let me make it very clear to the Hon'ble Leader of the Opposition.

अध्यक्ष : माननीय धूमल जी, कहिए। आप क्या कहना चाहते हैं?

31.3.2016/1115/av/dc/2

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, कौल सिंह जी का नये सूट और नई कमीज में एक नया अवतार प्रकट हुआ है। इन्होंने एक तुलना की कि हम जब सत्ता में थे तो रोज प्राताकाल बैठक करते थे। आज भी बैठक करते हैं। लेकिन आपने तो रात के टाइम बैठक की, दिन ढल रहा था और सायंकाल हुई। (---व्यवधान---) ठीक है, आपने सही याद करवाया। उस पाप को धोने के लिए यज्ञ किया गया। यहां जो मंत्री महोदय ने कहा कि we are united under the leadership of Mrs. Sonia Gandhi and we are united with Sh. Virbhadra Singh, but not under his leadership (---व्यवधान---) नहीं, आपने लीडरशिप शब्द इस्तेमाल नहीं किया, आप देख लें। इन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी की लीडरशिप में तो पूरा विश्वास व्यक्त किया। आपने सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में कहा कि we are united with Sh. Virbhadra Singh, हम यही कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पत्र लिखकर सोनिया जी को इनफोर्म किया जा रहा है। प्रेस में भी इन्होंने ही रिलीज किया और खबरें भी इन्होंने दी। पत्र लिखकर जो

अभिव्यक्ति की जा रही है और यहां पर जो मन की इच्छा के खिलाफ डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, वह न कीजिए। इस पर चर्चा करने में क्या दिक्कत है? अगर आप पूरी तरह से युनाइटेड हैं तो इस पर चर्चा कीजिए और चर्चा करनी चाहिए क्योंकि मुद्दा बड़ा स्पष्ट है।

टीसी द्वारा जारी

31.3.2016/1120/TCV/AG/1

अध्यक्ष: जहां तक मेरा कंसर्न है I am here to conduct the proceedings of the House according to rules. What is happening in their Party or your Party is not my concern. They can hold as many meetings they like and you can hold as many meetings. But so far I am concerned, I have to see that the issue which you have raised can be raised here or not. For that I have rejected the Motion and this issue cannot be discussed here. I request you that the proceedings of the House for today may be started peacefully and it should not make any disorder.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री: स्पीकर सर, प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी ने ये कहा कि श्री कौल सिंह जी यह बोलना भूल गये कि Under the leadership of Shri Virbhadr Singhji. मगर यह सारी जरूरत क्यों पड़ रही है? (...व्यवधान...) आप पूरी बात सुन तो लो, फिर ताली बजाना, इसके बाद ताली बजाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा षडयंत्र हुआ जिसमें ***(...) उससे पहले अरूणाचल में भी ऐसा ही प्रयास हुआ (...व्यवधान...)

डा० राजीव बिंदल: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला कोर्ट में है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री: अब मामला कोर्ट में हो गया, अब ताली बजाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो लिखकर दिया है उसमें हमने यह कहा कि Congress Party under the leadership of Shri Virbhadr Singh and our leader Smt. Sonia Gandhi is one together and will fight it together.

संसदीय कार्यमंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बजट पर वोटिंग होनी है और सब पता लग जाएगा। आज चर्चा करने की कोई गुंजाईश नहीं है।

डा० राजीव बिंदल: माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 55 बार सरकारें तोड़ी थी और देश में इमरजेंसी लगाई थी। (...व्यवधान...)

31.3.2016/1120/TCV/AG/2

अध्यक्ष: एक मिनट बैठिये। प्लीज एक मिनट बैठिये। (...व्यवधान...) मंत्री जी प्लीज आप भी बैठिये। (...व्यवधान...) प्लीज --- (...व्यवधान...) आप बैठ जाईये। एक मिनट बैठ जाईये। (...व्यवधान...) प्लीज एक सैकिंड (...व्यवधान...) अभी मुझे लग रहा है कि जो प्रोसीडिंग ऑफ दि हाउस है यह राईट डॉयरेक्शन में नहीं चल रही है इसलिए मैं इस मान्य सदन की बैठक 11.45 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित करता हूं।

31.03.2016/1145/RKS/AS/1

मान्य सदन की बैठक 11.45 बजे पूर्वाह्न पुनः आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष: माननीय धूमल जी।

प्र० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय हाऊस स्थगित होने से पहले परिवहन मंत्री श्री बाली जी ने उत्तराखंड राज्य के ऊपर एक टिप्पणी की है। ऐसा कहा गया है कि वहां पर कोई खेल खेला गया है। वह मामला हाईकोर्ट में लम्बित है और उस पर स्टे मिल गया है। अब यह मामला डबल बैंच में लगा हुआ है। उत्तराखंड के बारे में यह एक सब-ज्यूडिस मैटर है इसलिए मेरा निवेदन है कि जो परिवहन मंत्री जी ने हाईकोर्ट के बारे में कहा है उस टिप्पणी को एक्सपंज किया जाए।

Speaker: May be expunged.

प्र० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य

में सरकार गलत तोड़ दी थी। इस पर हमारे माननीय सदस्य डॉ० राजीव बिन्दल जी ने इनको याद दिलाया था। वैसे तो मैरिट ऑफ दी केस कोर्ट डिसाईड करेगा। इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि वहां क्या परिस्थिति थी। लेकिन आज इनको धारा-356 बड़ी बुरी लग रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 55 बार असैम्बलीज को डिजोल्ड किया गया, गवर्नमेंट डिसमिस की गई। एस.आर. बोम्मई केस सुप्रीम कोर्ट में जाकर वह असैम्बली रिस्टोर हुई।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

श्री एस.एल.एस....द्वारा जारी

31.03.2016/1150/SLS-AS-1

प्रो० प्रेम कुमार धूमल...जारी

15 दिसम्बर 1992 को हिमाचल प्रदेश असैम्बली, उत्तर प्रदेश असैम्बली, राजस्थान असैम्बली और मध्य प्रदेश असैम्बली रात 12 बजे डिसमिस की गई थी। इसलिए बिना किसी कारण से ऐसा कहना ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में तो उस समय कुछ भी नहीं हुआ था जो ऐसा करना पड़ता। इसलिए आपको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मेरा इतना ही निवेदन है।

Speaker : Why are you indulging in exchange now? बाली जी, बात समाप्त हो गई है। अब आप भी रहने दें। You want to speak something? ठीक है, बाली जी आप बोलिए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा कि उत्तराखण्ड का मामला अब सब-ज्यूडिस है। वहां क्या हुआ, वही उल्लेख मैंने यहां किया। जैसे बिन्दल जी ने कहा, मैंने आर्टिकल 356 की बात नहीं की है। मैंने यहा कहा है इंदिरा जी को अटल जी ने भी पार्लियामेंट में चण्डी का रूप और देवी का रूप कहा था। उसी इंदिरा जी के बारे में आप बात कर रहे थे। अब वह स्वर्ग में हैं। अब हमें वर्तमान

की बात करनी चाहिए, भूतकाल की बात छोड़ देनी चाहिए।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप फिर बीच में बोल रहे हैं। Please be quiet when your leader is speaking.

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, अटल जी ने लोकसभा में जो कहा था और जिस रिफरेंस में कहा था वह 1971 का युद्ध जीतने का रैफरेंस था। उस समय सारा देश उनकी तारीफ़ कर रहा था। क्या आपको अटल जी की बात पर आपत्त है? ... (व्यवधान)... ये क्या कहना चाहते हैं, यही इनको पता नहीं है। दूसरी बात, उत्तराखण्ड में वही हुआ है जो अगर आप में से 9 लोग इधर आ जाएंगे तो यहां भी हो जाएगा। उत्तराखण्ड में इस कारण से यह सब हुआ है। ... (व्यवधान)...

31.03.2016/1150/SLS-AS-2

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब तो मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। अब इनकी इस बात से मामला बड़ा ही घातक हो गया है। इन्होंने नाम लेकर कहा कि बाली जी, जब आप 9 लोग इधर आ जाओगे तो वैसा ही होगा। मैं माननीय प्रो० धूमल जी को बताना चाहता हूं कि आप कई दिनों से कह रहे हैं कि 2016 में इलैक्शन होने हैं। हमें यह पता नहीं है कि आप किस आधार पर कह रहे हैं। लेकिन यहां से 9 नहीं बल्कि एक भी उधर जाने को तैयार नहीं है। उधर से 9 लोग इधर आ सकते हैं, मैं ऐसा समझता हूं।

अध्यक्ष : अब यह काफी बहस हो चुकी है। इसे समाप्त करें।

उद्योग मंत्री : माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आप कृपया प्रश्नकाल चलने दें।

अध्यक्ष : अब इस पर काफी बात हो चुकी है। Don't make it too much. यह प्रश्न काल का समय है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि प्रश्न काल चलने दें। ... (व्यवधान)... कई बातें लाईटर-वे में कह दी जाती हैं, उनको और ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ... (व्यवधान)... भारद्वाज जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, यहां पर 3-4 दिनों से चर्चा चली हुई है। आज भी

वह चर्चा रैलेवेंट है क्योंकि आज अखबारों का कनेक्शन केवल इनके प्रस्ताव का या हस्ताक्षरों का नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सैक्रेटरी, जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा की सदस्या भी है, उनसे श्रीमती सोनिया गान्धी मेदान्ता में विशेष रूप से मिली। साथ में इनकी बैठक बुलाई जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि This is a crisis of confidence. क्योंकि बाली जी को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है और ठाकुर कौल सिंह जी भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...इसलिए ही तो ये बार-बार हस्ताक्षर करवा रहे हैं। जिस बात के कारण यह स्थिति बनी है, उस ई.डी. के ऊपर यहां पर चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

31.03.2016/1150/SLS-AS-3

Speaker : Please sit down. No recording please. यह गलत बात है। This is wrong. This is a party's affair and party affair should not be discussed here.

पार्टी जो कर रही है, वह करने दो। हमें उससे क्या लेना-देना है। सती जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। ...(व्यवधान)...

जारी ...गर्ग जी

31/03/2016/1155/RG/DC/1

----(व्यवधान)----

(विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर नारेबाजी करते रहे)

Speaker: Please I request you to sit down.

धूमल साहब, कृपया आप इनको कहें। अब मामला खत्म हो गया। अब इसकी चर्चा करने का क्या फायदा कि पार्टी में क्या हो रहा है? आज इतना सारा एजेन्डा है, आपके कट मोशनज लगे हुए हैं, बजट पास होना है। आप सभी लोग उस पर ध्यान दीजिए। कृपया, आप लोग बैठ जाएं।---(व्यवधान)--अब क्या करना है? अब क्या बात है?---(व्यवधान)---Please, sit down.

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं इसलिए इस बात पर हम सदन से वॉक ऑऊट कर रहे हैं।

(विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए)

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज बजट पर वोटिंग होनी है और कांग्रेस पार्टी एक जुट है। आप अभी भी गिन सकते हैं। लेकिन ये उसको फेस नहीं कर सकते।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सबमिशन यह है कि हम भी विपक्ष में थे और विपक्ष के पास सबसे मजबूत हथियार प्रश्नकाल होता है। माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं जिस पर सरकार को सूचना एकत्रित करने के लिए हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं और बजट सत्र में तो लाखों रुपये सरकार के खर्च होते हैं। लेकिन इनको इसका कोई फर्क ही नहीं है कि हम प्रश्न पूछें और सरकार से सूचना लें। दूसरी बात यह कि इनको न तो लोकतंत्र में विश्वास है और न माननीय अध्यक्ष पर विश्वास है। जब कॉल एण्ड शकधर की किताब कहती है और विधान सभा के 'Rules of Procedure and Conduct of Business' कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय की रूलिंग फाइनल है और उसको कोई चेलेन्ज नहीं कर सकता। लेकिन ये पिछले चार दिनों से लगातार माननीय अध्यक्ष महोदय की रूलिंग को चेलेन्ज कर रहे हैं and they are behaving in a most undemocratic manner which is highly condemnable. इसलिए हम इनके इस व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हैं और इस पर आपत्ति करते हैं।

31/03/2016/1155/RG/DC/2

अध्यक्ष महोदय, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे सदन में आएँ और प्रश्न पूछें। अभी कुछ दिन सत्र के बचे हुए हैं। इसलिए यहां चर्चा में भाग लें। ये लोग कटौती प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन प्रश्न पूछते नहीं हैं और जो हमारे विधायकों ने यहां प्रश्न पूछे हैं उनको भी प्रश्न नहीं पूछने देते। इसलिए मेरा अनुरोध विपक्ष के

माननीय सदस्यों से यही है। हम भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन प्रश्नकाल हमने कभी disturb नहीं किया। स्थगन प्रस्ताव या अन्य कोई चर्चा का मामला हम प्रश्नकाल के बाद उठाते थे और कभी-कभी Well of the House में भी आ जाते थे। इनका इस पर पूरा अधिकार है, लेकिन बार-बार अध्यक्ष महोदय की रूलिंग को चैलेंज करना कि आपकी रूलिंग ठीक नहीं है, which is uncalled for and unwarranted. That is my submission.

31/03/2016/1155/RG/DC/3

प्रश्न सं. 3094

अध्यक्ष : श्री सतपाल सिंह सत्ती उपस्थित नहीं हैं।

31/03/2016/1155/RG/DC/4

प्रश्न सं. 3095

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा प्रश्न ही पूरा नहीं हुआ था उसका कुछ नहीं हुआ।

अध्यक्ष : आपका प्रश्न मैं दुबारा लेता हूँ। इसके बाद उसको ले लेंगे। Don't worry. आपका प्रश्न इसके बाद ले लेंगे।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अभी जो किसानों के खेतों में फेन्सिंग करने के लिए नई स्कीम लाए हैं उसको क्या आप सामूहिक तौर पर लागू करने जा रहे हैं या अलग-अलग किसान को उसका फायदा देंगे? उसका माध्यम क्या रहेगा?

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है और जो नई स्कीम लाई है, this is concerned to the Agriculture

Department but I want to inform the Hon'ble House and my friend कि इसमें 60% सब्सिडी किसानों को दी जाएगी और चाहे वानर, जंगली गाय या सूअर हैं जो भी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली-जानवर हैं।

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

31/03/2016/1200/MS/DC/1

प्रश्न संख्या: 3095 क्रमागत--वन मंत्री जारी-----

उनके लिए बाबर्ड वायर लगेंगी और उसके ऊपर एक सोलर एनर्जी वाली या एनर्जी वाली तार जैसे विदेशों में होता है, लगाई जाएगी। सड़क पर जब गाड़ियां चल रही होती हैं तो नील गाय या कोई बड़ा जानवर यदि सड़क पर आ जाए तो उससे दुर्घटनाओं का अंदेशा होता है। उस चीज को मध्य-नज़र रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने यह बहुत बड़ी स्कीम लोकहित में शुरू की है क्योंकि किसानों/बागवानों को जंगली जानवरों, वानरों और सूअरों से बहुत नुकसान हो रहा था। उस चीज को मध्य-नज़र रखते हुए यह स्कीम लाई गई है और बहुत ही जल्दी कृषि विभाग और वन विभाग इसको लागू करेगा। इससे किसानों/बागवानों को फायदा मिलेगा। जहां बिजली है वहां बिजली के ज़रिये वह तार में करन्ट दिया जाएगा। उस तार से जानवर को सिर्फ करन्ट लगेगा यानी जब कोई जानवर फसल को नुकसान करने के लिए आएगा तो उसको हल्का करन्ट लगेगा जिससे वह जंगल की तरफ भाग जाएगा। ऐसे ही अगर वहां पर सोलर की जरूरत है तो उसके ज़रिये एक तार लगाई जाएगी बाकी दूसरी तारें लगाई जाएंगी।

अध्यक्ष: मेरा भी एक सुझाव है कि जिस किसान के 10 जमीन के अलग-अलग टुकड़े हैं उसके लिए क्या करेंगे, यह भी आप स्कीम में सोच लें।

श्री राकेश कालिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितनी जल्दी यह स्कीम इम्प्लीमेंट/फोरमुलेट होकर किसानों तक पहुंच जाएगी?

वन मंत्री: आज सदन में बजट पास हो जाएगा और इसके एकदम बाद ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जैसे बाकी बजट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है इसको भी अमलीजामा पहना दिया जाएगा।

31/03/2016/1200/MS/DC/2

Speaker: Though the time is over but the incomplete question in respect of Sh. Maheshwar Singh will be take up. Please ask your question.

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को एक बात के लिए तो बधाई देना चाहूंगा कि आपके और सरकार के प्रयासों से बंदरों को वर्मिन घोषित कर दिया गया है। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन वह केवलमात्र शिमला क्षेत्र के लिए हुआ है। आपके प्रयास आगे के लिए भी जारी हैं, ऐसा लगता है क्योंकि आपने बहुत लम्बी सूचना दी है। मैंने सूचना को पढ़ा है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि जहां यह परमिशन केवल छः महीने के लिए मिली है, इसी प्रकार से जो बाकी क्षेत्र है, वैसे इस बार आपने पूरा विवरण दिया है और उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट है। आपका 15 पृष्ठों का जवाब है। क्या आप जो बाकी छोटे हुए क्षेत्र हैं उनके जो नक्शे वगैरह आपने भारत सरकार को एनवायरनमेंट पॉलिसी में भेजे हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करवाएंगे?

वन मंत्री: अध्यक्ष जी, मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों की वजह से जो हमने हॉट स्पॉट शिमला में चिन्हित किए थे जहां बच्चों और आम आदमी को वानरों द्वारा तंग किया जा रहा था, उन क्षेत्रों में वानरों को वर्मिन घोषित किया गया है। सुबह ही जब मैं सैर पर निकला था तो मालरोड पर मुझे एक बुजुर्ग मिले। वे पूछने लगे कि क्या आपने वास्तव में ही बंदरों को वर्मिन घोषित कर दिया है। लेकिन इनको मारेगा कौन? मैंने कहा कि इनको मारने के लिए पहले भी कोई बंधन नहीं था परन्तु वन विभाग वालों को बंधन था। शिमला में आठ ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे जिनकी परमिशन केन्द्र सरकार ने दे दी है और माननीय हाई कोर्ट में हम एफेडेवित फाइल करने जा रहे हैं और उसके मुताबिक सूचित कर देंगे कि इनको वर्मिन घोषित कर दिया गया है। उसके ऑर्डर आ

गए हैं। उसको हम अमलीजामा पहनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जो माननीय सदस्य ने कहा कि सारे प्रदेश में किसानों/बागवानों को ये वानर तंग कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने केस भेजा है और बहुत जल्दी ही उसकी भी स्वीकृति आने वाली है बाकी सारे प्रदेश के जो जंगली जानवर हैं बल्कि जो जंगली जानवरों की अन्य भी प्रजातियां हैं उनके बारे में भी हम केस भेज रहे हैं rather than monkeys.

प्रश्नकाल समाप्त

31/03/2016/1200/MS/DC/3

कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्ष: अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2014-15 (01-04-2014 से 31-03-2015 तक) की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

अगली मद् श्री जे0के0 द्वारा--

31.03.2016/1205/जेएस/एजी/1

अध्यक्ष: अब शहरी विकास मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

शहरी विकास मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों का वार्षिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

31.03.2016/1205/जेएस/एजी/2

मन्त्री द्वारा वक्तव्य:

अध्यक्ष: अब माननीय वन मंत्री दिनांक 29 फरवरी, 2016 को उत्तरित स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2472 से सम्बन्धित अतिरिक्त सूचना बारे वक्तव्य देंगे।

वन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 29 फरवरी, 2016 को उत्तरित स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2472 से सम्बन्धित अतिरिक्त सूचना सभा पटल पर रखना चाहता हूँ।

दूसरे, मैं आपकी अनुमति से श्री महेन्द्र सिंह ने कल "कट मोशन" चर्चा के दौरान प्रश्न प्रश्न संख्या 1973 तिथि 6.04.2015 का हवाला देते हुए कहा था कि स्वां जलागम परियोजना, ऊना में वर्ष 2013-14 व 2014-15 में करोड़ों पौधे लगाए गए हैं वह इतने पौधे लगाने की प्रदेश में वनों में क्षमता नहीं है। मैंने कल संक्षिप्त में यह स्पष्ट किया था कि माननीय सदस्य जो इस योजना में करोड़ों पौधों को लगाए जाने की चर्चा कर रहे हैं व पैसा परियोजना के कार्यान्वयन करने पर खर्च किया गया है। मैं स्पष्ट करता हूँ कि इस प्रश्न के उत्तर में मैंने इस सदन को सूचित किया था कि वर्ष 2013-14 में 34,59,63,005/-रुपए व वर्ष 2014-15 में 12,17,27,246/- रूपए का व्यय किया गया था। यह भी यहां पर ले कर रहा हूँ।

31.03.2016/1205/जेएस/एजी/3

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री रिखी राम कौंडल जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ कि इस माननीय सदन के अन्दर एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जो मेरे घर के साथ घर लगता था श्री सुरजीत सिंह, कांस्टेबल, सुपुत्र श्री धर्म सिंह।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य जी आप पहले मुझे बताएं कि यह क्या सूचना है? पहले मुझे पता तो लगे। आप किस सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं क्या यह कोई नया विषय है?

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद सूचना सरकार देगी। यहां विधान सभा में अपनी डियुटी पर तैनात था।

अध्यक्ष: पहले मुझे पता तो लगे। आप किस सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं क्या यह कोई नया विषय है?

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, यह नया विषय है।

अध्यक्ष: हम यहां पर कोई नया विषय टेक अप नहीं करेंगे। अभी नहीं करेंगे।

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वह लड़का विधान सभा डियुटी पर तैनात था और उसकी मौत हो गई। ____ (व्यवधान) ____

Speaker: There is no time. Don't misguide us? Don't disrupt the proceedings of the House. We are heading for the next item. This is wrong thing. You are raising an issue without giving a notice to me. इस विषय का नोटिस मुझे पहले दीजिए। . . . Interruption . . . You give a notice to me then I will give you time. All of a sudden you cannot raise a question. You were to give a notice to the Vidhan Sabha.

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना दे रहा हूँ।

31.03.2016/1205/जेएस/एजी/4

अध्यक्ष: यहां पर इस तरह की सूचना नहीं दी जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं? ____ (व्यवधान) ____

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, वह पुलिस कांस्टेबल जिसकी डियुटी विधान सभा में थी और उसका देहांत हो गया। मैं उसकी सूचना आपको दे रहा हूँ। जिस ढंग से उसका देहांत हुआ है और इसलिए मेरा दायित्व बनता है। यहां पर वह वाक्यात घटित हुआ है। ____ (व्यवधान) ____ अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष: आप क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं। जो आप यहां पर रेज़ कर रहे हैं उसका पहले आप नोटिस दीजिए।

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना दे रहा हूं आप मेरी बात सुन लीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो नियमों के तहत भी यह चर्चा आ सकती थी लेकिन यदि माननीय सदस्य चर्चा को उठा रहे हैं तो आप इजाजत दे दें तो अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष, श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

31.03.2016/1210/SS-AG/1

अध्यक्ष: मुझे यह इश्यु समझ में नहीं आया। क्या इसके बारे में कोई नोटिस है? ऐसा है कि मेरे समक्ष कोई कागज़ नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, मैं पहले उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करूंगा?

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सुरजीत सिंह, काँस्टेबल जो फिफथ आई0आर0बी0 बटालियन में तैनात था, उसकी सत्र के दौरान विधान सभा में ड्यूटी लगी थी। वह अपनी ड्यूटी पर था। वह पीलिया के रोग से ग्रस्त था। कल उसका सैनिटोरियम अस्पताल में पीलिया का टैस्ट हुआ। उसका रात को 4:00 बजे देहांत हो गया। गम्भीर स्थिति में, जबिक उसको पीलिया की शिकायत थी, सरकार द्वारा छुट्टी नहीं दी गई। विभाग द्वारा छुट्टी नहीं दी गई। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वह मेरे घर के साथ का लड़का है। मेरा पड़ोसी है। मेरे बिल्कुल साथ उनका घर लगता है। इससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय मेरे लिए और क्या हो सकता है जिनके साथ हम इकट्ठे खेले, अपने हाथों से उस बच्चे को खिलाया हुआ है, उस बच्चे का रात 4:00 बजे देहांत हो गया। इससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय और क्या हो सकता है? इसलिए मैं इस माननीय सदन में इस विषय को उठा रहा हूं। उनकी भराड़ी में ठहरने की व्यवस्था थी। आज भराड़ी में दूषित पानी की वजह से पीलिया से हालत खराब है। जितना भी काँस्टेबल का स्टाफ वहां ठहरा है वहां उनके ठहरने की व्यवस्था ठीक नहीं

है और भराड़ी लाइन में स्वच्छ पीने के पानी की बड़ी गम्भीर समस्या बनी हुई है। वहां पर पीलिया का प्रकोप बढ़ा हुआ है। इसलिए मैं माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात मैंने सरकार के ध्यान में लाई है, इसकी छानबीन करके कल माननीय मुख्य मंत्री जी, जिनके पास होम डिपार्टमेंट है, इसके बारे में सूचना माननीय सदन के अंदर दें। सदन में सब सदस्यों को मालूम हो जाए कि किस वजह/कारण से एक नौजवान लड़का काल का ग्रास बना जोकि अपने मां-बाप का इकलौता लड़का था और वह ही परिवार का पालन-पोषण करता था। यह महत्वपूर्ण विषय, जिसे माननीय संसदीय कार्यमंत्री के कहने पर आपने मुझे उठाने की अनुमति दी, मैंने वह विषय आपके और सरकार के ध्यान में लाया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

31.03.2016/1210/SS-AG/2

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो बात कह रहे हैं उसका हमें भी बहुत दुख है लेकिन विधान सभा का कोई प्रोसिजर होता है। आप लिखकर दीजिये। उसमें चर्चा भी लगेगी, लेकिन अभी हैल्थ पर कट-मोशन लगने हैं उसमें आप इसे बोल दीजिये। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: सर, ऐसा है माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है इसका हमें दुख है। लेकिन यह विधान सभा किसी कायदे-कानून से चलती है। जब इनको पता लग गया कि कल उनकी डैथ हो गई है तो ये नियम-62 के तहत कॉलिंग अटेंशन दे सकते थे। यह बैड प्रैसीडेंट है कि कोई सदस्य जब मर्जी खड़े होकर बोल दे। इस तरीके से मैं समझता हूं कि अच्छी बात नहीं है। ये तो बहुत पुराने सदस्य हैं। मिनिस्टर भी रहे हैं। डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। अगर ये सुबह आपके पास कॉलिंग अटेंशन दे देते और आप सरकार से रिपोर्ट मांग लेते तो ठीक रहता। अभी तो सरकार को भी पता नहीं है कि क्या बात हुई है। इन्होंने इंफोर्म किया है तो निश्चित तौर पर सरकार इस बात की जांच करेगी कि वाकई वह पीलिया के रोग से मरा है या किस वजह से मरा है। इसका भी सरकार पूरा संज्ञान लेगी।

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भी इस विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। इनको मालूम है कि कोई भी ऐसी बात हो तो उसके साथ डाक्युमेंट अटैच करना

पड़ता है। रात को 4:00 बजे उसकी डैथ हुई तो कब समाचार पत्रों में उसकी खबर छपनी थी। सुबह ही यह बात मेरे ध्यान में आई तो मैंने यह विषय विधान सभा के अंदर उठा दिया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: मेरा यह मतलब था कि ये सुबह अध्यक्ष महोदय को दस या साढ़े दस बजे लिखकर दे देते। कोई इश्यु आप तब तक विधान सभा के अंदर नहीं उठा सकते जब तक आप माननीय अध्यक्ष महोदय को उसके बारे में सूचित न कर दें। मेरा कहने का मतलब यही है। नहीं तो कोई भी सदस्य खड़ा होकर कोई इश्यु उठा दे तो उसमें विधान सभा का समय खराब होगा। फिर भी आपने मामला उठाया है सरकार इसका संज्ञान लेगी और सारी वस्तुस्थिति पता करेगी।

31.03.2016/1210/SS-AG/3

वित्त वर्ष 2016-17 की बजट अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अध्यक्ष: अब वित्त वर्ष 2016-17 की बजट अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। अब वित्तीय वर्ष 2016-17 की बजट अनुदान मांगों पर आगे चर्चा एवं मतदान होगा। क्योंकि आज चर्चा का अंतिम दिन है इसलिए आज ही विनियोग विधेयक की पुरस्थापना, विचार एवं पारण होगा। मैं विपक्ष और पक्ष की सहमति के अनुरूप सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, 1973 के नियम 396 (7) के अन्तर्गत आज चार बजे गिलोटिन लगा दिया जायेगा। अब मैं मांग संख्या: 9 को चर्चा एवं मतदान हेतु लेता हूँ।

जारी श्रीमती के0एस0

31.03.2016/1215/केएस/डीसी/1

अध्यक्ष जारी-----

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरा मांग संख्या-9, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत

राजस्व एवं पूंजी के निमित्त क्रमशः मु0 16,18,39,36,000/- रुपये व 53,26,50,000/- रुपये की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इस पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, बिक्रम सिंह, इन्द्र सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह और डॉ0 राजीव बिन्दल जी की ओर से तीन कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं या मैं उन्हें इनकी ओर से प्रस्तुत हुआ समझूं?

माननीय सदस्यगण: प्रस्तुत हुआ समझें।

अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए जो इस प्रकार है:

मांग संख्या: 9 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

सदस्य का नाम कटौती प्रस्ताव **मांग संख्या:**

नीति का अननुमोदन 9

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री रिखी राम कौंडल,
श्री विजय अग्निहोत्री,
श्री बिक्रम सिंह,
श्री इन्द्र सिंह,
श्री जय राम ठाकुर,

31.03.2016/1215/केएस/डीसी/2

श्री महेश्वर सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह,
डॉ० राजीव बिन्दल ।

1. सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों/दवाइयों की क्रय नीति का अननुमोदन ।

मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध है। इसमें सर्वप्रथम श्री महेन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह: आदरणीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या-9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। विभाग की इस मांग संख्या पर हम सभी ने जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं, उसमें सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन, सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती नीति का अननुमोदन, सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों/ दवाइयों की क्रय नीति का अननुमोदन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है, आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग के जितने भी संस्थान चले हैं, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है या शहरी क्षेत्रों के अंदर हैं, प्रदेश की 70 लाख जनता न संस्थानों के माध्यम से वहां पर जो कार्यरत डॉक्टरों और पैरा मैडिकल स्टाफ है, उनकी सेवाएं लेते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। आज अगर सच में देखें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर चाहे सब सेंटर्स हैं, पी.एच.सीज़. हैं, सिविल डिस्पेंसरीज़ हैं या सिविल हॉस्पिटल है, रैफरल हॉस्पिटल हैं, वहां पर ऐसे बहुत संस्थान है जिनके अंदर न डॉक्टर है, न पैरा मैडिकल स्टाफ का कोई कर्मचारी है और कुछ तो ऐसे पी.एच.सी. हैं जहां पर यहां तक कि सफाई कर्मचारी भी नहीं है।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी----

31.3.2016/1220/av/ag/1

श्री महेन्द्र सिंह----- जारी

कोई बीमार होता है, एम्बुलेंस सेवा जो वर्ष 2008 व 2012 के बीच में शुरू की गई थी उस एम्बुलेंस सेवा का प्रयोग गांव में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने इलाज तथा उपचार के लिए करता है। पी०एच०सी० में पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर नहीं होते। अगर एक-आध डॉक्टर हो भी तो वह ज्यादा प्रयास न करता हुआ उसे आगे चाहे रैफरल अस्पताल है, सिविल अस्पताल है या डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल है; वहां को तुरंत रैफर कर देता है। आगे एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि रैफरल होस्पिटल वाले भी क्योंकि उनके पास डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ का टोटा है। वे उसको सीधे डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल, आई०जी०एम०सी० शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज या पी०जी०आई० रैफर कर देते हैं। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और इसके कारण बहुत सी बहुमूल्य जानें; ऐसे गरीब लोग जिनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वह उन मरीजों का इलाज दूरदराज शिमला के होस्पिटल, टांडा मेडिकल कॉलेज या पी०जी०आई० में करवा सकें। वे हट फिर कर अपने घर वापिस चले जाते हैं और मौत का ग्रास बन जाते हैं। ठीक है, प्रदेश सरकार और विशेषकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने अपनी तरफ से काफी प्रयास किए होंगे। मगर ग्रामीण क्षेत्रों में उन प्रयासों का सकारात्मक स्वरूप सामने आना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी स्वास्थ्य संस्थान हैं उनमें दवाइयां नहीं मिलती। अब हम क्या समझे कि माननीय मंत्री जी कहां तक प्रयास कर रहे हैं। पी०एच०सी० की धड़ाधड़ अनाउंसमेंट हो रही है। सब-सैंटर खोले जा रहे हैं। सी०एच०सी० की घोषणाएं हो रही हैं। छोटे अस्पतालों को बड़े अस्पतालों में बदला जा रहा है। 10 बिस्तर वाले अस्पताल को 30 में, 30 वाले को 50 में और 50 बिस्तर वाले अस्पताल को सौ बिस्तर वाले अस्पताल में बदला जा रहा है। मगर यह सब केवलमात्र एक घोषणा के रूप में ही रह रहा है। जिस प्रकार से वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहत हूं कि इन्होंने मेरे विधान

31.3.2016/1220/av/ag/2

सभा क्षेत्र में एक पी०एच०सी० का विधिवत शुभारम्भ किया। वहां पर काफी लोगों ने इनका ढोल-नगाड़ों से स्वागत किया और फूल-मालाओं से लाद दिया। हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं मगर वहां पर आज एक बड़ी विचित्र स्थिति है। एक ऐसी स्थिति है कि वहां केवल आपके नाम का ही पत्थर दिखाई दे रहा है। वहां न सफाई कर्मचारी है, न पैरा मेडिकल स्टाफ का कोई कर्मचारी है और न ही कोई डॉक्टर है। (---व्यवधान---) धन्य हो, अगर सेशन के बीच में आपने कोई ऐसा कदम उठाया हो तो धन्य हो। लेकिन ऐसा न करना कि जब तक सेशन है तब तक वहां किसी लेडी डॉक्टर या किसी दूसरे डॉक्टर को भेज दिया और जैसे ही सेशन खत्म हुआ उसको वापिस डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल, मंडी बुला लें। जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है और एक ऐसी अवस्था में होता है कि उसको गैस की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में हिमाचल प्रदेश के जितने भी होस्पिटल हैं। उसमें चाहे डिस्ट्रिक्ट लैवल का होस्पिटल है, चाहे रैफरल होस्पिटल है, चाहे आई०जी०एम०सी० या टांडा मेडिकल कॉलेज है। इन अस्पतालों में; क्योंकि मरीज जब किसी होस्पिटल में दाखिल होता है तो उसको ऑक्सिजन गैस की पहली सहायता के रूप में आवश्यकता पड़ती है।

टीसी द्वारा जारी

31.3.2016/1225/TCV/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह---- जारी ।

माननीय अध्यक्ष जी, आई०जी०एम०सी०, कमला नेहरू अस्पताल और रिपन अस्पताल में आक्सीजन गैस की जो सप्लाई होती है, वह हमारी एक मांडव एयर इंडस्ट्री, मण्डी द्वारा सप्लाई की जाती है। उनके द्वारा यह सप्लाई जिन रेट्स के आधार पर की जाती है उसके बारे में थोड़ी-सी सूचना मेरे पास उपलब्ध है जोकि किसी आर०टी०आई० एक्टिविस्ट ने सूचना ली है और यह सूचना हमारे पास तक पहुंचाई है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस विधान सभा के अंदर जो उत्तर दिए जाते हैं उससे बेहतर है कि हम आर०टी०आई० में सूचना ले लिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस हाऊस को हर प्रश्न में गलत सूचनाएं यहां पर दी जाती है और जब आर०टी०आई० के माध्यम से सूचना

मांगते हैं तो वह सूचना बिल्कुल डिफर करती है। उस सूचना के मुताबिक जैसा मैंने कहा कि मांडव एयर इंडस्ट्री, जो मण्डी में स्थापित है और सौली खड्ड में उनका अपना प्लांट लगा हुआ है, उन्होंने हमारे हॉस्पिटल में गैस की सप्लाई की हुई है। उस सप्लाई में जो डी- टाईप का सिलेंडर है जिसमें लगभग 7 क्यूबिक मीटर गैस आती है। उसका रेट 205 रुपये पर सिलेंडर के हिसाब से एक्स-फैक्टरी दिया गया है। जो बी- टाईप का सिलेंडर है जिसमें 1.5 क्यूबिक मीटर गैस आती है उसका रेट 80 रुपये एक्स-फैक्टरी है। ए-टाईप का सिलेंडर जिसमें 1 क्यूबिक मीटर गैस आती है उसका रेट 70 रुपये एक्स-फैक्टरी दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि इसी प्रदेश के अन्दर आपके विभाग में जो रोगी कल्याण समिति सोलन और नालागढ़ की है, उन्होंने भी इसी प्रकार की गैस अपने-अपने अस्पतालों के लिए ली हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ क्योंकि स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़ा विभाग है और बहुत बड़ा विभाग होने के नाते और ये तो बहुत लम्बे अर्से से मंत्री पद को सुशोभित करते आ रहे हैं, हम तो एक-दो बारे थोड़े-थोड़े समय के लिए मंत्री रहे हैं। हमने ऐसा महसूस किया है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मंत्री जी के ध्यान में नहीं आती है और मैं उनको माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, आपका जो मैबर सिक्रेटरी, रोगी कल्याण समिति, रीजनल हॉस्पिटल, सोलन हैं ने आर0टी0आई0 में जो सूचना दी है उसमें जो रेट्स है, मैं उन रेट्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि आपके रेट में और उनके रेट में अन्तर क्यों हैं? जो मांडव वाले मण्डी से गैस सप्लाई कर रहे हैं, सोलन एवं

31.3.2016/1225/TCV/AS/2

नालागढ़ वाले भी गैस सप्लाई कर रहे हैं तथा जो भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कैमिकल एण्ड फर्टीलाइजर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटीकल्स द्वारा जो रेट्स निर्धारित किए गये हैं आप कम से कम इनकी छानबीन करें। पीडब्ल्यूडी विभाग और आई0एण्ड पी0एच0 विभाग में सामान खरीदा जाता है उसके लिए डी0जी0एस0एण्ड डी0 अप्रूव्ड रेट्स होते हैं उसी प्रकार से भारत सरकार की जो नोटिफिकेशन दिनांक 15 मई, 2013 को हुई है, मैं आपका ध्यान उस ओर जरूर आकर्षित करना चाहता हूँ। जिस डी- टाईप के सिलेंडर में 7 क्यूबिक मीटर गैस आती है उसका रेट अप्रूव हुआ है जो

श्री आर०के०एस० द्वारा ----- जारी

31.03.2016/1230/RKS/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी

नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन, 2011 में उसका जो रेट अप्रूव हुआ है, इसकी नोटिफिकेशन हर वर्ष होती है। उस ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट वर्ष 2013 में 110.67 रुपए था, वर्ष 2014 में 117.67 रुपए था, वर्ष 2015 में 122.22 रुपए था जो कि भारत सरकार की नोटिफिकेशन के मुताबिक एक्सपेक्टिड रेट है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। दिनांक 9-12-2014 की नोटिफिकेशन के अनुसार डॉ० रमेश चन्द, सीनियर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट-कम-पी.आई.ओ., आईजीएमसी हॉस्पिटल, शिमला के द्वारा जो पत्र मैसर्ज मांडव एयर इंडस्ट्री, प्लॉट नम्बर-12, फेस-1 इंडस्ट्रियल एरिया, सोली खड्ड, मण्डी को लिखा गया है के तहत अगर बल्ब बदलना है तो उसका रेट 5 रुपए होगा, स्पिंडल बदलना है तो 85 रुपए रेट होगा, पेंटिंग का 170 रुपए रेट होगा। इस प्रकार के रेट इसमें दर्शाए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जब आपने देखा होगा, आपके विभाग ने देखा होगा, रोगी कल्याण समिति ने देखा होगा, मैडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या सुपरिंटेंडेंट ने जब ऐसा महसूस किया होगा कि हम मण्डी से सप्लाई क्यों लें, हम बाहर से सप्लाई क्यों लें, क्यों न हम हिमाचल प्रदेश के अंदर आईजीएमसी, कमला नेहरू अस्पताल, रिपन अस्पताल को सप्लाई करने के लिए यहां पर एक प्लांट लगा दें। यहां पर प्लांट लगाने के लिए जो प्रोसिजर अपनाया गया मैं उस प्रोसिजर की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उस प्रोसिजर के लिए आपने जो अखबारों में पब्लिकेशन किया वह सब कुछ उन अखबारों में छपा। हम इसी हाऊस में बहुत दिनों से सब कुछ देख रहे हैं लेकिन एक बात मैंने आज तक नहीं देखी थी। ट्रिपल पी पर काम होते रहे हैं, बी.ओ.टी. बेसिज पर काम होते रहे हैं। लेकिन इस बार हैल्थ डिपार्टमेंट ने एक नया काम शुरू किया 'बिल्ट ऑपरेट एण्ड रिमूव' आप कुछ बनाओ, बनाने के बाद चलाओ और चलाने के बाद उसको रिमूव कर दो। पहले ऐसा होता था 'बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर'। हो सकता है कि आपके ध्यान में

यह बात न हो। लेकिन एक नई बात आज इस सदन के बीच में और प्रदेश की जनता के सामने आई है कि जो

31.03.2016/1230/RKS/DC/2

आपने 'बिल्ट ऑपरेट एण्ड रिमूवल' का सिस्टम जारी किया है हमें ऐसा लगा रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। आपकी मंशा तो साफ हो सकती है कि हमारे यहां पर अपना ऑक्सीजन प्लांट लगे और यहीं पर हम ऑक्सीजन तैयार करें तथा इसकी सप्लाई हम कमला नेहरू अस्पताल, रिपन व आईजीएमसी अस्पताल में भी करें। जब आपने उसके टेंडर कॉल किए तो पहले टेंडर में आपका सिंगल टेंडर आया। आपने उस टेंडर को रद्द कर दिया। यह आपने अच्छी बात की। सैंकेंड टेंडर में तीन पार्टियों ने पार्टीसिपेट किया। इन 3 पार्टियों में से 2 पार्टियां ऐसी थी जो पी.डब्ल्यू.डी. और आई.पी.एच. के टेंडर लेती थी। वैसे भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ दी हाऊस में कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी विभाग, बोर्ड या कॉर्पोरेशन का कोई भी काम, कोई भी टेंडर अगर कॉल किया जाएगा तो वह टेंडर ई-टेंडरिंग के माध्यम से किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने ई-टेंडरिंग के प्रोसेस को क्यों नहीं अपनाया? अगर ई-टेंडरिंग का प्रोसेस अपनाते तो ऐसे मैनुफेक्चरर जो मुम्बई में बैठे हुए हैं,

श्री एस.एल.एस....द्वारा जारी

31.03.2016/1235/SLS-AG-1

श्री महेन्द्र सिंह...जारी

वह ई-टेंडरिंग के माध्यम से इसमें पार्टीसिपेट कर सकते थे। आपके द्वारा सैंकेंड कॉल करने पर 3 फर्म आईं और जो आपकी प्री-बिड मीटिंग हुई; किसी भी टेंडर की प्री-बिड में वही पार्टियां पार्टीसिपेट करती हैं और अपनी फाईनैशियल कैपेबिलिटी बताती हैं कि हमारा कितना टर्नओवर है और अपना टैकिटनकल ब्योरा देती हैं कि कैसे हम इस स्पर्धा में पार्टीसिपेट कर सकते हैं। लेकिन प्री-बिड मीटिंग में यह किसी ने प्वायंट आऊट नहीं किया। जब टेंडर खुला तो टेंडर खुलने के बाद जब टैक्निकल बिड खुली

तो उसमें 2 कंपनियां बाहर हो गईं क्योंकि वह टैक्निकली क्वैलिफाई नहीं कर रही थीं। इस तरह यह सिंगल टेंडर आ गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, हो सकता है यह आपके ध्यान में न हो। मैं नहीं कहता कि यह आपके ध्यान में है। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि 3 फर्मों में से जो एक फर्म का टेंडर खुला, वह फर्म मैसर्स माण्डव एयर इंडस्ट्री, प्लॉट नंबर 12, फेज-1, इंडस्ट्रियल एरिया, सौली खड्ड, जिला मण्डी है। यही एक टेंडर खुला। जब भी कोई टेंडर खोला जाता है, आदरणीय अध्यक्ष जी, उस वक्त उसकी एक जस्टिफिकेशन बनती है। आपके पास ऐसी जस्टिफिकेशन का कौन-सा क्राईटेरिया था, कौन-सी ऐसी कमेटी थी जिसने जस्टिफाई किया। सिंगल टेंडर में जिसने टेंडर डाला है वह स्वयं कह रहा है कि इस प्लॉट को लगाने में 3.00 करोड़ रुपया लगेगा? माननीय अध्यक्ष जी, परचेज कमेटी की पहली मीटिंग 27.04.2015 को बुलाई गई जिसमें 4-5 मुख्य लोगों द्वारा चर्चा की गई। उसके उपरांत, माननीय मंत्री जी, जिस फर्म का सिंगल टेंडर आया हुआ है, उसने कहा कि हम इससे कम रेट नहीं कर सकते। जहां तक रेट्स की बात है, जो रेट उस फर्म ने दिए हैं, मैं उन रेट्स की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। उस फर्म ने कहा कि इस प्लॉट को लगाने के लिए हमारा 3.00 करोड़ रुपया लगेगा। फिर दूसरी परचेज कमेटी मीटिंग हुई जिसको प्रिंसिपल ने प्रीजाईड ओवर किया। उसके उपरांत ऐसी स्थिति बनी कि हमारी परचेज कमेटी उस सिंगल टेंडर के आगे हाथ जोड़ रही है कि आप थोड़ा-सा रेट कम कर दो। मुझे इस बात की हैरानी है। उन्होंने क्या रेट दिए? जो डी. टाईप के 7

31.03.2016/1235/SLS-AG-2

क्यूबिक मीटर के सिलेंडर आप मण्डी वालों से ले रहे हैं, वह आप 205 रुपये में ले रहे हैं। 09.12.2014 को रमेश चन्द, सुपरिन्टेंडेंट का इस बारे में पत्र गया है और उसकी कॉपी यहां आर.टी.आई. के माध्यम से आई है। आज आप मण्डी से उस सिलेंडर को 205 रुपये में ले रहे हैं लेकिन जब आई.जी.एम.सी. में एक औक्सीजन गैस तैयार करने के लिए प्लॉट लग रहा है तो आप उसके साथ रेट्स नैगोशियेट कर रहे हैं। वह क्या रेट्स हैं? आप उसके साथ 255 रुपये का रेट नैगोशियेट कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि जब मण्डी से सिलेंडर लिया जाता है तो 205 रुपये का लिया जाता है लेकिन जब

आपका अपना प्लांट लग रहा है तो वही सिलेंडर आप 255 रुपये में ले रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि डी. टाईप का आक्सीजन सिलेंडर 255 रुपये में,

जारी ...गर्ग जी

31/03/2016/1240/RG/AG/1

श्री महेन्द्र सिंह----क्रमागत

'डी' टाईप का नाईट्रस ऑक्साइड सिलेण्डर 5,000/-रुपये में, 'डी' टाईप का नाईट्रस ऑक्साइड सिलेण्डर 1,050/-रुपये में और 'ए' टाईप नाईट्रस ऑक्साइड सिलेण्डर 875/-रुपये में और इसके अलावा इसमें मजे की बात क्या है कि इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ पाटर्स, जो गैस आप आई.जी.एम.सी. में तैयार करेंगे, जो कम्पनी सिलेण्डर दे रही है वह कहती है कि हमने आपसे गैस के सिलेण्डर की कीमत 255/-रुपये लेनी है, लेकिन उसमें यदि पेंट होना है या कोई वॉल्व चेंज होना है, तो 552/-रुपये का एक वॉल्व होगा, उसमें यदि spindle चेंज होना है, तो 85/-रुपये का चेंज होगा और अगर कोई वासर, वॉल्व या कोई छोटा सा नट भी चेंज होना है, तो वह भी 85/-रुपये के हिसाब से चेंज होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, जो 'बी' टाईप का आक्सीजन सिलेण्डर है जिसमें 1.5 क्यूबिक मीटर गैस भरी जाती है उसका मण्डी वाला रेट 80/-रुपये और जब शिमला में गैस तैयार होगी, तो उसका रेट भी 80/-रुपये रखा गया। जो 'ए' टाईप का आक्सीजन का सिलेण्डर है उसका मण्डी वाला रेट 70/-रुपये था, वह 70/-रुपये रेट ही यहां रखा गया है और साथ में ऐग्रीमेंट किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करना चाहता हूं कि जो रोगी कल्याण समिति का पैसा है, यह हमारे गरीबों की खून और पसीने की कमाई से इकट्ठा हुआ पैसा है। यह पैसा किसी व्यक्ति-विशेष को और मजबूत करने के लिए नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमने एक कुटेशन मंगवाई, जो आपने यह ऐग्रीमेंट किया है इसके मुताबिक आप जिस कैपेसिटी का वहां प्लांट लगा रहे हैं उसी कैपेसिटी

के प्लांट की जब हमने एक कुटेशन मंगवाई, तो आप वाली फर्म कह रही है कि तीन करोड़ रुपये लगेंगे, लेकिन जो दूसरी कुटेशन हमारे पास आई हुई है और ये कुटेशन मैंने प्रमाणित करके विधान सभा के पटल पर रखी हुई हैं, तो जो उसकी प्राईस बिड है, वह कहता है कि मैं 82,00,000/-रुपये में इसी कैपेसिटी का प्लांट आई.जी.एम.सी. में पहुंचा दूंगा। अब पता नहीं माननीय मंत्री जी के ध्यान में ये सारी बातें है या नहीं? फिर भी मैं उस कम्पनी का नाम बताना चाहता हूं Sanghi Organization, 1-2, Turf View, Opposite Nehru Centre, Seth Motilalji Sanghi Marg, Worli, Mumbai

31/03/2016/1240/RG/AG/2

यह इनके नाम की कुटेशन है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप उसको आई.जी.एम.सी. में सारा बना-बनाया स्पेस दे रहे हैं। वह कोई अपनी नई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा कि वहां वह कोई नया स्ट्रक्चर तैयार करेगा। बल्कि जो बना-बनाया वहां स्ट्रक्चर है उसमें ही वह इस प्लांट को लगाने जा रहा है। अगर वह नया भी लगाएगा, तो वह वन-टाईम इनवेस्टमेंट होगी, न कि वह इनवेस्टमेंट हर साल करनी पड़ेगी। आपका जो ऐग्रीमेंट है 15 वर्षों तक का आपका ऐग्रीमेंट है इसकी क्लॉसिज में लिखा है कि यह जो प्लांट है यह पांच वर्ष तक 255/-रुपये में जो सिलेण्डर के रेट हुए हैं और बाकी 80/-रुपये में दूसरा रेट और 70/-रुपये में तीसरा रेट और इसमें यह भी लिखा है कि एक दिन के 200 सिलेण्डर 'डी' टाईप के आई.जी.एम.सी., रिपन और कमला नेहरू अस्पताल उनसे लेगा। अब आप अन्दाजा लगाएं कि यदि एक दिन के 200 सिलेण्डर लिए जाएंगे,

एम.एस. द्वारा जारी

31/03/2016/1245/MS/AG/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी-----

255/-रुपये के हिसाब से 200 सिलेण्डर पर-डे, $200 \times 365 = 73000$ सिलेण्डर लिए जाएंगे और 73000 सिलेण्डर का 255/-रुपये के हिसाब से 1 करोड़ 86 लाख 15 हजार

रुपये बनता है। जो बी टाइप के लिए जाएंगे, उसमें 100 सिलेण्डर दिन के लेंगे और उसका 29 लाख 20 हजार रुपया बनता है। जो ए टाइप के सिलेण्डर लिए जाएंगे, वे 40 लिए जाएंगे। उनका 70/-रुपये रेट है और उनका 10 लाख 22 हजार रुपया बनता है। यह केवल-मात्र IGMC के लिए है। इसमें कमला नेहरू अस्पताल और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शामिल नहीं हैं। अगर इसी को जोड़ें तो 2 करोड़ 55 लाख 57 हजार रुपया एक साल में IGMC की रोगी कल्याण समिति उसको देगी। हम सबका मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि IGMC की जो रोगी कल्याण समिति है वह रोगी कल्याण समिति इसलिए नहीं है कि वह इस धन का दुरुपयोग करे। यह इस प्रदेश का एक संस्थान है। इस प्रदेश के इस संस्थान में हमारे पूरे प्रदेश से बीमार लोग इलाज के लिए आते हैं। मैं कुछ बातें माननीय मंत्री जी से और जानना चाहता हूँ। मंत्री जी अगर प्लांट की कौस्ट 82 लाख रुपये है अगर उसके लिए कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए आप 18 लाख रुपये और रख दो तब भी एक करोड़ रुपये ही आपकी इन्वैस्टमेंट होगी। उस प्लांट के अंदर ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कोई दूसरी चीज नहीं पड़ती है। उसमें जो पानी इस्तेमाल होगा वह आपका होगा। उस प्लांट को बनाने के लिए स्पेस आप देंगे। बिजली की आपूर्ति होगी, वह आप देंगे और कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था भी आप करेंगे, भले ही कर्मचारी उनके होंगे। प्लांट का पीरियड वैसे 25 वर्ष का है लेकिन आपने उनके साथ 15 वर्ष का एग्रीमेंट किया हुआ है। लेकिन पांच वर्ष के उपरान्त 5 प्रतिशत हर वर्ष आप हाइक दे रहे हैं। आप जो 255/-रुपये का सिलेण्डर आज दे रहे हैं, पांच वर्ष के बाद हर साल आप 5 प्रतिशत की हाइक देंगे तो 10 वर्षों में आप 50 प्रतिशत की हाइक देंगे। इस तरह से 255/-रुपये का सिलेण्डर कहां पहुंच जाता है? इसलिए हम आपसे एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा फैसला हो चुका है तो उस फैसले पर पुनर्विचार

31/03/2016/1245/MS/AG/2

करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा है कि यहां पर जो हमारे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी (एन0पी0पी0ए0) है, मैंने उसके रेट पढ़े हुए हैं। वह एक साल के लिए अपने रेट तय करता है। उन्होंने जो रेट तय किए हुए हैं उनके रेट जैसे मैंने कहा, वे रेट्स इससे बहुत कम हैं। इसलिए या तो आप उनके साथ इस बात

को सुनिश्चित करें कि ये जो रेट्स हैं ये हमें मान्य नहीं है क्योंकि यहां पर आपके रेट्स ज्यादा हैं। इसलिए इन रेट्स को कम किया जाए और साथ में मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सारा कुछ करने के उपरान्त क्या हुआ कि आप इस मामले को केबिनेट में ले गए। हमने तो थोड़े से समय ही केबिनेट का स्वरूप देखा है लेकिन केबिनेट में किसी भी इशू के ऊपर इतनी गहराई से चिन्तन नहीं किया जा सकता। एक मंत्रि-परिषद की बैठक में बहुत सारी आइटम्स लगती हैं। जब बहुत आइटम्स लगती हैं तो उस वक्त जो वहां प्रिंसिपल सैक्रेटरी और ए0सी0एस0 होते हैं, जो वे लोग और मंत्री जी पक्ष रखते हैं, उसी पक्ष के ऊपर मोस्टली निर्णय हो जाते हैं। इसलिए हमारी चिन्ता है कि इस प्लांट पर आप वन टाइम इन्वैस्टमेंट कर दो। रोगी कल्याण समिति इन्वैस्टमेंट कर दे। वह प्लांट 82 लाख रुपये का है। आप 18 लाख रुपये उसमें और जोड़कर एक करोड़ रुपये का प्लांट लगा दो क्योंकि आप 40 करोड़ रुपया 15 वर्षों में उनको दे रहे हैं। इसलिए वन टाइम इन्वैस्टमेंट से आप लगभग-लगभग अगर कुछ नहीं होगा तो कम-से-कम 22, 23 या 24 करोड़ रुपये की सेविंग रोगी कल्याण समिति की, स्वास्थ्य विभाग की और प्रदेश के खजाने की कर सकते हैं। इसलिए हमारा आपसे यह अनुरोध है। इसी तरह से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और भी ले जाना चाहता हूं,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

31.03.2016/1250/जेएस/एस/1

श्री महेन्द्र सिंह: ----जारी-----

कि माननीय मंत्री जी एक ऐसी स्थिति आज प्रदेश के अन्दर है कि आज क्या हो गया है कि जहां भी हम देखें और आज की अखबार हिमाचल दस्तक में आया है कि टांडा में 1.97 करोड़ रुपए गोलमाल। यह क्या हो रहा है? इतनी परचेजिंग इस प्रदेश के अन्दर की जा रही है। इस परचेजिंग में यदि हम हर जगह ही यह देखें, चाहे वह टांडा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वह आई0जी0एम0सी0 हो, चाहे कोई दूसरा हॉस्पिटल हो और चाहे दवाओं का मामला हो। आपकी दवाईयाँ एक्सपायर हो रही है। उनको एक्सपायर तारीख से पहले मरीजों में नहीं बांटा जा रहा है। उन दवाईयों को आप नालों

में फेंकते हैं। सड़कों के किनारों से नीचे फेंक रहे हैं। हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप इस तरफ विशेष ध्यान दें। इसी के साथ-साथ जो भवन निर्माण के लिए पैसा इस प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट ने डिपोजिट के रूप में लोक निर्माण विभाग के पास दिया हुआ है, आज एक ऐसी स्थिति है कि वर्ष 2011-12 की राशि पूरे हिमाचल प्रदेश के अन्दर विभिन्न पी०एच०सी० के भवन बनाने के लिए, सी०एच०सी० के भवनों को बनाने के लिए और दूसरे भवनों को बनाने के लिए दी गई है। आज उनके स्लैब पड़ चुके हैं। उनमें कुछ काम हो चुका है, लेकिन वे खंडहर हैं। आज ऐसा दिखाई दे रहा है इन साढ़े तीन वर्षों में कि वे खंडहर की शकल ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जहां आपकी इन्वैस्टमेंट हो चुकी है। जहां पर लाखों रूपया लग चुका है और कई जगह करोड़ों रूपया लग चुका है वहां पर थोड़ा-थोड़ा पैसा और लगाने की आवश्यकता है तो अगर वहां पर थोड़ा-थोड़ा पैसा लगा दें तो कम से कम वहां पर जो फैसिलिटीज़ है, जो वहां पर डॉक्टरों बैठेंगे, जो पैरा मैडिकल स्टाफ के लोग बैठेंगे और उन भवनों के अन्दर जो मरीज आएंगे कम से कम उन मरीजों को तो वहां पर बैठने का स्थान बन जाएगा। डॉक्टरों के उपकरण वहां पर लग जाएंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, परसों मैं आपके साथ बैठा था और मैंने एक निवेदन किया था कि मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्दर धर्मपुर में जो पी०एच०सी० है उसको हमने

31.03.2016/1250/जेएस/एस/2

सी०एच०सी० किया था और सी०एच०सी० के साथ उसको 30 बेडिड किया था। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि वहां पर एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर के साथ-साथ वहां पर एक्सरे की मशीन वैसे ही पड़ी हुई है। वहां पर जो दूसरी मशीनें लगी हुई है उनको चलाने वाला कोई नहीं है। टैक्निकल स्टाफ आपके पास कोई नहीं है। जो वहां पर पांच पोस्टें खाली पड़ी है उनको भरने के लिए जो प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए उस प्रक्रिया को आप नहीं अपना रहे हैं। उस प्रक्रिया को न अपनाने की वज़ह से क्या हो गया है कि आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जितने भी हॉस्पिटल्ज, जितनी भी पी०एच०सी० और जितने भी स्वास्थ्य संस्थान इस प्रदेश के अन्दर है उन स्वास्थ्य संस्थानों के पास छोटे-छोटे दूसरे प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा मिल रहा है। आपने अगर एक्सरा लेना है तो उधर चले जाओ। आपने अगर फलां टैस्ट लेना है तो वहां चले जाओ।

स्वास्थ्य विभाग अपने पाँव पर कब खड़ा होगा? हमारा ई0एस0आई0 मेडिकल कॉलेज, नेरचौक है उसकी व्यवस्था के बारे में आपने इस हाऊस के बीच में कहा था कि हम इस मेडिकल कॉलेज को जून-जुलाई में शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा दिख रहा है कि जून-जुलाई तो दूर रहा अगर अगले साल भी चालू हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि आप इस तरफ विशेष ध्यान दें। आप उस जिला के मंत्री हैं। आप प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपके जिला के मेडिकल कॉलेज का प्रश्न है और यदि आप उसमें उदासीनता बरतें तो वह हमें भी बुरा लगता है क्योंकि हमें भी लोग पूछते हैं कि उस ई0एस0आई0 मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ? दूसरे, हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं और पिछले कल श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने भी एक बात उठाई थी कि तीन मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश के अन्दर चम्बा में, हमीरपुर में और नाहन में खुलने जा रहे हैं और मैं तो आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि जब हमारी सरकार इस प्रदेश के अन्दर थी आदरणीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, इन्होंने सरकाघाट के लिए मेडिकल कॉलेज की बात कही थी।

31.03.2016/1250/जेएस/एस/3

इन्होंने कहा था कि हम यहां पर एक मेडिकल कॉलेज चाहे कोई प्राईवेट वाला ही आ जाएं उसको दे देंगे। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि उस मेडिकल कॉलेज की तरफ आप कितने आगे बढ़ें हैं। एक ऐसी स्थिति आज हमारे सरकाघाट की है, एक ऐसी स्थिति आज हमारे मण्डी जिला की है, एक ऐसी स्थिति आज पूरे प्रदेश की है और जितना भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जितने हम पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाएंगे, वह सारे का सारा जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां पर स्वास्थ्य विभाग की परिस्थितियां बड़ी दयनीय है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

31.03.2016/1255/SS-DC/1

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागत:

आदरणीय अध्यक्ष जी, जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है मैं इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम

से माननीय मंत्री जी से यह विशेष करके गुजारिश करूंगा कि राष्ट्र और प्रदेश हमारे लिये सर्वोपरि है, इस प्रदेश की एक-एक पाई का मिस-यूज न हो। उस एक-एक पाई का ठीक हिसाब मिले और प्रदेश के जितने भी आम लोग हैं उन सभी को इसका लाभ मिले। --(व्यवधान)--

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके अन्य सदस्य नहीं बोल पायेंगे अगर आप इतना समय बोलेंगे। आपको बोलते हुए 40 मिनट हो गये हैं। बाकियों ने भी बोलना है।

श्री महेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अब तो लंच का समय हो गया है इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा कोई सदस्य नहीं बोलेगा।

इस करके मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने विभाग के संरक्षक हैं। एक संरक्षक के रूप में जो विशेष करके ऑक्सीजन का प्लांट आई0जी0एम0सी0 में लगने जा रहा है आप इस पर पुनर्विचार करें। इसमें हमारे लोगों की गाढ़ी कमाई बरबाद न हो।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

31.03.2016/1255/SS-DC/2

अध्यक्ष: अब डॉक्टर बिंदल जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ० राजीव बिंदल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या: 9 पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं आज जो विषय रखूंगा, माननीय मंत्री जी, केवल सुझाव के तौर पर चंद बातें रखूंगा। आप बहुत अनुभवी हैं। लम्बे समय से अलग-अलग मंत्रालय देखते आये हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय आप दूसरी बार देख रहे हैं। किसी भी प्रकार की क्रिटीसिज्म के लिए मैं बात नहीं कहूंगा। यह पूरा देश जनता है कि हमारे पास मेडिकल रिसोर्स पर्सन्ज़ की कमी है। डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, सुपर-स्पेशलिस्ट की कमी केवल हिमाचल में नहीं है बल्कि पूरे देश में है। इसीलिए देश की सरकारें लगातार मेडिकल कॉलेजिज़ को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कहीं-न-कहीं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को विचार करना पड़ेगा कि जो हमारे दो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर हम पिछले साढ़े तीन वर्षों में सीटों में इज़ाफा नहीं कर

पाये। 1978 से हमारे आई0जी0एम0सी0 में 65 सीटें थीं, वे 65 ही चली आ रही थीं। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी, हमने प्रयास किया तो वे सीटें 100 हो गईं। टांडा मेडिकल कॉलेज की सीटें 50 चली आ रही थीं, उस पर प्रयास किया तो वे 100 हो गईं। आपने प्रयास किया। आपने 150 या 200 सीटों का मसौदा भेजा, उस पर एम0सी0आई0 ने कुछ ऑब्जेक्शन्ज़ लगाये। दोनों मेडिकल कॉलेजों में बैड्स और अध्यापकों की स्ट्रेंथ हमारे पास बहुत है। जितनी लैबोर्टरीज़ चाहिए, जितने हमारे को लैक्चर थियेटर चाहिए, केवल आवश्यकता इस बात की है कि बारीकी के साथ एम0सी0आई0 के द्वारा मांगी गई आवश्यकताओं को हम पूरा करें। जब तक हम मांगी गई आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो एम0सी0आई0 की कंडीशन्ज़ पूरी नहीं होतीं और हमारी सीटें नहीं बढ़ती हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि दोनों मेडिकल कॉलेजिज़ में हमारे पास बैड्स हैं हम दोनों में स्ट्रेंथ को एटलिस्ट 150 तो कर ही सकते हैं और शिमला में 200 सीटें भी हो सकती हैं। इस विषय में विचार करना नितांत आवश्यक है। दूसरा, अभी यहां पर जब विधायक लोग चर्चा करते हैं या अपने-अपने क्षेत्रों में जाते हैं या फील्ड की सिचुएशन देखते हैं और

जारी श्रीमती के0एस0

31.03.2016/1300/केएस/डीसी/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी-----

माननीय मंत्री जी को इस बात का आभास भी है कि हर कोई चाहता है कि मैं एम.डी.,मैडिसिन से दिखाऊं। मेरे घर में डीलिवरी होनी है तो मैं गार्डनेकोलोजिस्ट को दिखाऊं। अगर हड्डी टूटी है तो ऑर्थोपैडिशियन देखें, बच्चा बीमार हो गया है तो पैडियेट्रिशियन देखें। यह एक आवश्यकता है इसलिए विशेषज्ञों की आवश्यकता ज्यादा है। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं परन्तु आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी बधाई के पात्र है, जब वर्ष 2008 में हमारी सरकार बनी तो हिमाचल प्रदेश में पी.जी. की सीटें केवल 39 थीं। लम्बे समय से 39 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट की चली आ रही थीं। हमारी सरकार ने प्रयास किया और टांडा मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बना, पहले पांच हुई बाद में वे सीटें 49 हुईं। आई.जी.एम.सी. की सीटें भी बढ़कर

लगभग 100 हुई और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में इस समय 149 सीटें पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं परन्तु थोड़ा चिन्तन करना पड़ेगा कि हम साढ़े तीन साल में एक भी सीट पोस्ट ग्रेजुएशन की दोनों मैडिकल कॉलेजों में नहीं बढ़ा पाए। नहीं बढ़ा पाए तो इसमें कोई कमी है और हमें इसको दूर करना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स में एम.सी.आई. के पास हमारे विभाग ने एप्लीकेशनज़ भेजी परन्तु एम.सी.आई. ने जब इन्सपैक्शन किया तो उसमें भी कमियां मिली और पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें नहीं बढ़ पाई। यह गम्भीरता से लेने का मामला है कि मैडिकल ऐजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें अगर नहीं बढ़ रही हैं तो छोटी-छोटी कमियों के कारण नहीं बढ़ रही हैं और पोस्ट ग्रेजुएट जो हिमाचल में तैयार होगा वह हिमाचल में सर्विस देगा, यह भी सुखद स्थिति रहती है। जबसे ये सीटें 149 हुई हैं, हमको विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ मिलने शुरू हुए हैं और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको भी गम्भीरता से लें। हम हिमाचल प्रदेश के दोनों मैडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें केवल एक साल के प्रयास में ढाई सौ कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है क्योंकि वहां की अंदरूनी स्थिति को मैंने भी अच्छी तरह से समझा है। तीसरा विषय भी आलोचना के लिए नहीं, सुझाव के लिए माननीय मंत्री जी के समक्ष रख रहा हूं फिर भी यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी हमारी विधान सभा के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं,

31.03.2016/1300/केएस/डीसी/2

सुपर स्पेशलाइजेशन के अंदर आदरणीय धूमल जी की सरकार में आई.जी.एम.सी. में आठ सीटें शुरू हुई। चार सीटें सी.टी.वी.एस. में हुई और चार सीटें डी.एम. कार्डियोलॉजी की शुरू हुई। आठ सीटें शुरू हुई लेकिन आज साढ़े तीन साल बीत गए हैं, न तो हम टांडा में एक भी सीट सुपर स्पेशलाइजेशन की शुरू कर पाए और न ही हम आई.जी.एम.सी. में इसकी एक भी सीट बढ़ा पाए। मेरा मानना है कि दोनों मैडिकल कॉलेज में हम सुपर स्पेशलाइजेशन छः विभागों में कर सकते हैं और इनमें अगर हम दो-दो सीटें भी बढ़ाते हैं तो 12 सीटें हमारे पास सुपर स्पेशलाइजेशन की हो सकती है जो हमारे टीचिंग फैकल्टी के लिए बहुत जरूरी है। नए मैडिकल कॉलेज जो आप खोल रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। सुपर स्पेशलाइजेशन के विंगज़ को रन करने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने माननीय मंत्री जी तीन सुझाव दिए हैं। इसको अन्यथा न लेते हुए

अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो तीन चीजें हो सकती है। अध्यक्ष जी, जो नए मैडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, उनके लिए चंद सुझाव देना चाहता हूं। वह भी आलोचना के लिए सुझाव नहीं है बल्कि बड़े कंस्ट्रक्टिव सुझाव आपके सामने रख रहा हूं। नाहन मैडिकल कॉलेज, हमीरपुर मैडिकल कॉलेज, चम्बा का मैडिकल कॉलेज और मण्डी का नेरचौक मैडिकल कॉलेज, चार मैडिकल कॉलेज का प्रारूप आपके पास तैयार है। नेरचौक मैडिकल कॉलेज में बिल्डिंग है आपने एक ऑर्डर करना है, आप उसको शुरू कर सकते हैं।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

31.3.2016/1305/av/dc/1

डॉ० राजीव बिन्दल----- जारी

इसी तरह से आपके कार्ड पर तीन मेडिकल कॉलेजिज हैं। केंद्र सरकार आपको तीनों मेडिकल कॉलेजिज के लिए 600 करोड़ रुपये दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आपको देने वाले हैं और उसका इनस्टॉलमेंट में पैसा आना शुरू हो गया है तथा आपने उस बारे में कार्रवाई आरम्भ कर दी है। हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। हम जब तीनों मेडिकल कॉलेजिज में फैकल्टी की भर्ती करने जायेंगे। मुझे याद है, माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी ने यहां से मामला उठाया था। नाहन मेडिकल कॉलेज में कुछ प्रोफेसर ने ज्वार्इन किया है, हम उसके लिए आपके धन्यवादी है। मेरा यह कहना है कि जब हम इन तीनों मेडिकल कॉलेजिज में फैकल्टी पोस्ट करेंगे तो इधर से उठाकर उधर करेंगे और उधर से उठाकर इधर करेंगे यानि हमारी

फैकल्टी की गिनती बराबर है। जब हम आई०जी०एम०सी० से ए०पी० उठायेंगे, ऐसोशिएट और प्रोफेसर उठायेंगे तो आई०जी०एम०सी० में शॉर्ट फॉल हो जायेगा। एम०बी०बी०एस० की अगले साल जो स्कूटनी होगी उसमें शॉर्ट फॉल आ जायेगा। पी०जी० की स्कूटनी में शॉर्ट फॉल आ जायेगा और सुपर स्पेशेलाइजेशन में शॉर्ट फॉल आ जायेगा। मैं एक सुझाव रखना चाह रहा हूं और आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। यहां पर हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) भी बैठे हैं। अगर तीनों-चारों मेडिकल कॉलेजिज को आप सोसयटी मोड मेडिकल कॉलेज के रूप में चलाना चाहे तो आप

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) या सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में सरकार की एक सोसायटी फोर्म करें। उस सोसायटी के माध्यम से इसे बनायें। अगर आप सोसायटी का फोर्मेट चाहते हैं तो पूरे देश के अंदर गवर्नमेंट सैक्टर में अनेक जगह सोसायटी मोड मेडिकल कॉलेजिज चल रहे हैं। आप उसको प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मैं भी आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ। उससे हमें क्या सुविधा होगी, मैं उस पर जाना चाहता हूँ। उसमें यह सुविधा होगी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या सैलरी देनी है, आप उससे बाध्य है। गवर्नमेंट सैक्टर में क्या सैलरी देनी है, आप उससे बाध्य है। मगर

31.3.2016/1305/av/dc/2

सोसायटी मोड मेडिकल कॉलेज में यदि आप 50 टीचिंग फैकल्टी के लिए विज्ञापन देंगे तो आप उसमें उनकी आवश्यकता के अनुसार सैलरी स्ट्रक्चर दे सकते हैं। बाहर से ए0पी, ऐसोशिएट और प्रोफेसर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप हिमाचल प्रदेश में अन्य स्थानों पर दिए जाने वाली सैलरी स्ट्रक्चर से डेविएट कर सकते हैं। इसी तरह से आप वहां पर सोसायटी मोड में पैरा मेडिकल स्टाफ और टीचिंग स्टाफ इत्यादि की अप्वाइंटमेंट जल्दी से कर सकते है जो बाकी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर करने में परेशानी आती है। आप इन चारों मेडिकल कॉलेजिज को एक ही बार में रन कर सकते हैं। अगर बाहर से फैकल्टी अट्रैक्ट करनी है तो हमें उनको कुछ-न-कुछ देना पड़ेगा अन्यथा हमारे यहां पर जो ऐलीजिबल फैकल्टी है वह बाकी प्राइवेट कॉलेजिज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। मुझे यहां पर यह सुझाव देना था। अंत में, मैं दो-तीन छोटे-छोटे सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। केंद्र सरकार में इस समय हिमाचल प्रदेश के नेता स्वास्थ्य मंत्री के नाते बैठे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो एन0एच0एम0 का ऐनवैल्प तैयार करें क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। केंद्र की मोदी जी की सरकार हमारे प्रदेश के प्रति बहुत ही पोजिटिव रुख रख रही है। इसलिए आप जो एन0एच0एम0 का ऐनवैल्प बनाएं उसको इनफ्लेट करें। उसको बड़ी मात्रा में इनफ्लेट करके उसका लाभ उठायें ताकि फील्ड में जो आप सुविधाएं देना चाहते हैं, उनको दे सकते हैं। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। मुझे एक-दो और विषय रखने है कि टांडा का जो सुपर स्पेशलाइजेशन विंग है उसका उद्घाटन होने के बाद हम उसको सही अर्थों में शुरू नहीं कर पायें। यह कोई क्रीटिसिज्म नहीं है, आपकी भी समस्याएं होंगी

और विभाग की भी समस्याएं होंगी। मगर जब हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है और उसका उद्घाटन भी गुलाम नबी आज़ाद जी से करवा दिया है तो उसको शुरू करना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा निचला हिमाचल उसके माध्यम से कवर होता है। आज रैफरल होस्पिटल की संख्या बहुत ज्यादा है और उसको देखते हुए उसको शुरू करना बहुत जरूरी है। अंतिम एक सुझाव है,

टीसी द्वारा जारी

31.3.2016/1310/TCV/AG/1

जब आप यह योजना बना रहे हैं कि हमको बच्चों कि मृत्यु दर को कम करना है केन्द्र की सरकार भी इसमें बहुत इंटरस्टिड है। 'एंटी रोट्टा वायरस वैक्सीन' हिमाचल ने लागू कर दिया है और देश के अन्दर लीडिंग प्रदेश के रूप में हिमाचल निकला है तो उसमें मेरा यह कहना है कि जो फील्ड का स्टॉफ है उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। आप भी कहते रहे कि हमने आशा वर्कर नहीं लगाये, हमने इसी लिए आशा वर्कर नहीं लगाये क्योंकि आशा वर्कर को मिलने वाला इंसेंटिव बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश की आशा वर्कर को इस समय 400 और 450 रूपये महीना मैक्सिमम इंसेंटिव मिल रहा है और वह हमारे पास एक ऐसी फौज़ है जो नाराज़ फ़ौज़ है। आपने वायदा किया था कि हम मु0 1000/- रूपये से मु0 2000/- रूपये तक उनको मानदेय देंगे। आप उनको अगर मानदेय देते हैं तो वह आप के लिए एक कार्य करने वाली फौज़ बन सकती है अन्यथा व एक बहुत बड़े वज़न के रूप में हिमाचल प्रदेश के लिए रहेगी। इतना कहते हुए, आप भरसक प्रयास कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इसमें कामयाब हों क्योंकि हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विभाग में कहीं न कहीं कमी रहने के कारण, चाहे पीलिया के कारण मृत्यु हो या अन्य कारणों से हो, एक्सीडेंटल ट्रामा केसिज़ का मामला हो, हम उससे निपटने में और ज्यादा सक्षम हो, ऐसा हम कहना चाहेंगे। मुझे इतना ही आज के इस कटौती प्रस्ताव के ऊपर कहना था। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Health & Family Welfare Minister: Thank you for giving valuable suggestions.

अध्यक्ष: अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

31.03.2016/1425/RKS/AS/1

(मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.25 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष: श्री विजय अग्निहोत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विजय अग्निहोत्री: अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या:9 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' कटौती प्रस्तावों के ऊपर बोलन का मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। अगर स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक हो तो बाकियों का स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक न हो तो हर व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। स्वास्थ्य से जिंदगी की हर खुशी जुड़ी हुई है। क्योंकि सुख और खुशी व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा दुःख शरीर का दुःख होता है। फिर चाहे व्यक्ति के सामने कोई भी चीज आ जाए वे उसका आनंद नहीं ले सकता है। हम तो उस संस्कृति के हैं:-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुःख भाग भवेत॥

सभी निरोग हों, सभी का स्वास्थ्य ठीक हो और उसके लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् एक कल्याणकारी सरकार का कन्सैप्ट आया और उसमें स्वास्थ्य विभाग जो कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जिसके कारण समाज का हर व्यक्ति स्वस्थ हो जिससे उसका योगदान इस समाज में हो। उसके लिए काम शुरू हुआ, स्वास्थ्य विभाग का विस्तार हुआ। बहुत से मैडिकल संस्थान जोकि गांव के सुदूर क्षेत्रों में खुले लेकिन आज भी बहुत सी मुश्किलें इस विभाग के अंदर हैं। चाहे वह डॉक्टरों की कमी है, चाहे फंक्शनल स्टाफ की कमी है, चाहे वे अन्य प्रकार की कमियां हों। इन सब कमियों को अगर हम दूर करें और लोगों को सारी सुविधाएं दे पाएं तो अच्छा होगा। जो-जो सुविधाएं हम प्रपोज

करते हैं कम-से-कम हम उन सुविधाओं को सुनिश्चित कर पाएं तो वह इस समाज और राष्ट्रहित में होगा।

31.03.2016/1425/RKS/AS/2

अध्यक्ष जी, आज कटौती प्रस्ताव पर चर्चा का अंतिम दिन है और बहुत से वक्ता बोलने वाले हैं इसलिए मैं अपनी लम्बी -चौड़ी बात नहीं रखूंगा। स्वास्थ्य विभाग ने बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं चाहे वह केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हो, चाहे एन. एच.आर. एम. के अंतर्गत हो चाहे वह प्रदेश सरकार ने शुरू की हो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सी कमियां पाई जा रही हैं जिसके कारण गरीब व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग बी.पी.एल. परिवारों के लिए कार्ड ईश्यू करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब बी.पी.एल. परिवार का व्यक्ति उस कार्ड को लेकर अस्पताल में जाता है तो उस कार्ड का रिन्यूवल का समय समाप्त हो गया होता है। जब वह अस्पताल में जाता है तो वह कार्ड वहां पर वैलिड नहीं होता है। उसके बाद वह पंचायत, बी.डी. ओ. के ऑफिस, ब्लॉक में एस.डी.एम., सी.एम.ओ. के पास जाता है लेकिन कहीं भी उसका कार्ड रिन्यू नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कम-से-कम जिला में एक जगह ऐसी सुनिश्चित करें जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कार्ड ईश्यू/रिन्यू किए जाएं। जब गरीब व्यक्ति को कार्ड की जरूरत पड़ती है तो कार्ड की रिन्यूवल डेट हो चुकी होती है। जिस कारण व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता है। व्यक्ति को अपना इलाज करवाने में मुश्किल आती है। पहले भी यह बात चर्चा में आई लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर इसकी व्यवस्था की जाए तो गरीब व्यक्ति को इसका लाभ होगा। जैसा कि बजट में भी कहा गया है कि 56 प्रकार की दवाइयां स्वास्थ्य केंद्रों, मैडिकल कॉलेजों में जहां उपचार होता है, निःशुल्क दी जाती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? जब कोई टांडा मैडिकल कॉलेज में जाता है तो उसका वहां पर कोई दवाई नहीं मिलती है। वे दवाइयां कहां जाती है? पहले भी चर्चा में आया है कि वे दवाइयां एक्सपायरी डेट होने के कारण फैंक दी जाती है। लेकिन जिसकी ड्यूटी है, जिसने दवाइयों को वितरित करना है, जिस डॉक्टर के पास मरीज जाता है उन

सबको यह हिदायतें देना पड़ेगी कि जब गरीब व्यक्ति आता है तो उसे यह गाइड करना चाहिए कि दवाई कहां मिलेगी?

श्री एस.एल.एस....द्वारा जारी

31.03.2016/1430/SLS-AS-1

श्री विजय अग्निहोत्री...जारी

अन्यथा दवाइयां आती हैं, नालों में फेंक दी जाती हैं और गरीब व्यक्ति को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूँ। जो फ्री डिलीवरी की सुविधा अस्पतालों में है, उसका भी सरलीकरण करना चाहिए। हमारे क्षेत्र के ज्यादातर लोगों को टाण्डा मैडिकल कॉलेज के लिए रैफर किया जाता है क्योंकि सी.एच.सी. और जिला अस्पतालों में गाइनेकोलोजिस्ट की कमी है। इसलिए लॉस्ट ऑवर में रोगी को टाण्डा रैफर कर दिया जाता है। जब गांव के रोगी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें यह पता नहीं चलता कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है। जब वह बड़ी मुश्किल से एमरजेंसी से होते हुए वहां पहुंचते हैं तो विभाग को उनके ऑपेशन के लिए जो भी फ्री डिलीवरी के सामान की आवश्यकता है, वह उपलब्ध करवाना चाहिए। वह सामान लेबर रूम में नहीं मिलता। उसे लिस्ट दे दी जाती है और फिर वे कहीं इधर-उधर घूमते रहते हैं। इस तरह गांव के आदमी को वहां धक्के खाने पड़ते हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि इस सारे सिस्टम को ठीक करते हुए जो उस डिलीवरी या ऑपेशन के लिए ज़रूरी चीजें हैं वह लेबर रूम में उपलब्ध हों ताकि हम उनको अच्छी सुविधाएं दे पाएं।

हमारे नजदीक टाण्डा मैडिकल कॉलेज है जहां पर ही हमारे सारे रोगी जाते हैं। हमने वहां पर सुपर स्पेशियलिटी शुरू की है। लेकिन उसकी हालत क्या है? हमने वहां पर कितने सुपर स्पेशल डॉक्टर अप्वायंट किए हैं? वहां हम केवल 2-3 डिपार्टमेंट शुरू कर पाए हैं। एक कार्डियोलोजिस्ट है; नैफ्रोलोजी में वहां कोई नहीं है। जो इन 2-3

डिपार्टमेंट में सुपर स्पेशल डॉक्टर हैं वह केवल एक-एक है। जब वह डॉक्टर वहां होता है तो वह सुपर स्पेशियलिटी चलती है और जब वह नहीं होता तो बंद हो जाती है। वह भी सब-कुछ केवल ओ.पी.डी. में है। उसकी इंडोर व्यवस्था नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां डॉक्टर क्यों नहीं टिकते या वहां के लिए डॉक्टर मिल ही नहीं रहे हैं, इसके कारणों को देखने की

31.03.2016/1430/SLS-AS-2

आवश्यकता है। जो ऐसे सुपर स्पेशल लोग आप वहां लाएंगे, वह बहुत-सी सुविधाएं चाहते हैं। क्या हम उनको वह सुविधाएं दे पा रहे हैं, उस बात की चिंता करते हुए इस विषय में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि NHRM के अंतर्गत आप जो मल्टी स्पेशियलिटी कैंप लगाते हैं, वह कैंप कोई आकाश हॉस्पिटल, दिल्ली नाम से आयोजित करते हैं। उन्होंने सर्जिकल का कैंप भी किया। उसके पश्चात उन मामलों का फौलो-अप कैसे होता है? उस कैंप में जिस गरीब व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, अगर ऑपरेशन के 4-5 दिनों के पश्चात उसको कोई इंफेक्शन हो जाती है या कोई कंप्लिकेशन आ जाती है तो वह उसका निवारण कैसे करेगा और उन डॉक्टरों के साथ कहां मिलेगा? फिर इस 5000 रुपये के ऑपरेशन को बचाने के चक्कर में उसको कहीं दूसरी जगह जाकर 50,000 रुपया और खर्चना पड़ता है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि अगर हमारे पास यहां गवर्नमेंट एजेंसी में, गवर्नमेंट अस्पतालों में या मैडिकल कॉलेज में ऐसी सुविधाएं हैं तो वह मल्टी स्पेशियलिटी कैंप वहां लगाएं ताकि हिमाचल प्रदेश का गरीब व्यक्ति दोबारा से उनके पास जाकर वह सेवाएं ले सके और ऑपरेशन के पश्चात आने वाली जो कंप्लिकेशन हैं, उनके साथ दो-चार होने में उसे सुविधा हो।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह छोटी-छोटी बातें हैं जिनके कारण गरीब व्यक्ति को हम स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। हमने SRL को बड़ी-बड़ी लैब दे दी हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम फ्री हेल्थ सर्विस दे रहे हैं और बहुत कम कीमत पर टैस्ट करवा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है उन SRL के माध्यम से व्यक्ति को

बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके अपने टैस्ट करवाने पड़ रहे हैं।

जारी ...गर्ग जी

31/03/2016/1435/RG/DC/1

श्री विजय अग्निहोत्री-----क्रमागत

और हमारे पास पूरे प्रदेश में ट्रेड लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने लैब टैक्नीशियन इत्यादि का कोर्स किया हुआ है या बहुत से क्वालिफाईड लोग हमारे पास हैं, हम उनको इंगेज कर सकते हैं और उनको वहां अप्वाइंट कर सकते हैं। जो हमारे यहां लैबोरेट्रीज़ हैं यदि हम उनका पूरी तरह से उपयोग करें, तो गरीब व्यक्ति को कम दाम में भी सुविधा मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर में फंक्शनल स्टाफ के पद खाली है। जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है वहां भी चाहे वह CHC, नदौन, CHC, गलोड़, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांगू या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनेटा आदि में फंक्शनल स्टाफ की बहुत कमी है। यहां कई बार फंक्शनल स्टाफ के बारे में बहुत सी बातें भी हुई हैं और उन पदों को भरने की बातें भी हुई हैं, लेकिन आज भी MPW, FSW या अन्य जो FHS हैं उनके सारे पद रिक्त पड़े हैं। उन रिक्त पदों को भरने के लिए बहुत तेज गति से हमें काम करने की आवश्यकता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और छोटी सी बात के बारे में आदरणीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्योंकि जो PHCs या CHCs हैं उनमें एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि PHCs में डॉक्टर के लिए रेजिडेंस भी है, लेकिन वह वहां रहता नहीं है। रात को यदि कोई व्यक्ति वहां आता है, तो वहां स्टाफ नर्स या कोई अन्य होता है उसके माध्यम से डॉक्टर को कॉल करते हैं और जब कोई ज्यादा गंभीर रोगी

होता है, तो उसको बुरा हाल हो जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि जहां डॉक्टर के रेजिडेन्सेज़ हैं वहां रात को डॉक्टर ठहरे। इसके साथ-साथ जो 102 या 108 नंबर ऐम्बुलेंस की सुविधा हम देते हैं उनके बारे में भी कई बार ऐसा चिन्तनीय विषय आ जाता है। हम कहते हैं कि 108 नंबर को फोन करो, आधे घण्टे के अंदर आपके पास ऐम्बुलेंस पहुंचेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो-दो घण्टे तक ऐम्बुलेंस आती ही नहीं है। अभी पिछले दो महीने पहले ही धनेटा में एक ऐसा वाक्या हुआ कि वहां एक औरत को हर्ट अटैक हुआ, वहां 108 नंबर पर फोन किया, तो पौने दो घण्टे के बाद ऐम्बुलेंस आई। तब तक वह मर गई। इसलिए जो हमारे यहां स्टाफ या डॉक्टर की कमी है उनको शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि पूरे प्रदेश में ऐसी ही स्थिति है। नालागढ़ में भी जो PHCs हैं, सिविल

31/03/2016/1435/RG/DC/2

अस्पताल हैं या सब-सेन्टर्ज हैं इनमें बहुत से पद रिक्त हैं। इन खाली पदों को भरने के लिए आप प्रयत्न करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लंबी बात न कहते हुए एक बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पीछे शिमला में पीलिया फैला जिसके कारण बहुत सी मौतें भी हुईं। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, शिमला एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट के तीन वकील भी पीलिया के कारण मर गए। कोर्ट ने उनके परिवारों को दो-दो लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने पीलिया के कारण आई.जी.एम.सी. में ही दम तोड़ दिया, क्या उनको कोई मुआवज़ा देने के बारे में भी सरकार सोचती है? अभी पीछे ही दिनांक 22 मार्च को मेरे चुनाव क्षेत्र के एक व्यक्ति श्री राकेश कुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार, निवासी जड़ोत, ग्राम पंचायत भदरोण की पीलिया के कारण आई.जी.एम.सी. में मौत हो गई। वह 35 साल का लड़का था और उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। इसलिए उसके परिवार को भी मुआवज़ा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि हम गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बहुत बातें करते हैं और बहुत सी सेवाएं दे भी

रहे हैं। लेकिन चाहे हैल्थ कार्ड की बात हो जिससे उसको इलाज मिल सके, लेकिन कई बार जो क्रॉनिक डिजीज़ है या कैंसर का रोग है, तो हम सरकार के पास जाते हैं क्योंकि एन.आर.एच.एम. में उसका रिकॉर्ड नहीं होता है,

एम.एस. द्वारा जारी

31/03/2016/1440/MS/DC/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी-----

बी०पी०एल० फैमिली का कोई व्यक्ति होता है उसको कहीं से सहायता नहीं मिलती है तो हम मुख्य मंत्री राहत कोष या कहीं और से पैसा दिलाने की कोशिश करते हैं तो बहुत लम्बा प्रोसेस हो जाता है। ऐसे ही मेरे चुनाव क्षेत्र का एक 13 साल का लड़का जिसका नाम ऋतिक ठाकुर, सुपुत्र श्री रघुबीर सिंह, गांव लाहड़, डाकघर हथोल है उसकी पी०जी०आई० में कीमोथैरेपी चल रही है। मैं मुख्य मंत्री जी के पास भी गया और लिखकर भी दिया लेकिन पिछले दो महीने से उसको एक पैसे की सहायता प्राप्त नहीं हुई है। वहां लोग पैसे इकट्ठे करके उसको दे रहे हैं। क्या हम ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी सेवा शुरू कर सकते हैं जिसमें त्वरित कार्रवाई हो या एन०आर०एच०एम० में जो हम बी०पी०एल० परिवारों को सुविधाएं देते हैं, वे सुविधाओं आसानी से कैसे लोगों के पास पहुंच सके, इन चीजों के बारे में चिन्ता करेंगे? हमीरपुर मैडिकल कॉलेज के बारे में भी एम०सी०आई० से जल्दी इन्सपैक्शन करवाएं क्योंकि वहां बिल्डिंगज उपलब्ध है। उस बिल्डिंगज के बारे में भी आप जाकर पता करें। हम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। उसके लिए फैकल्टी एप्वायंट हो और उसके लिए अन्य आवश्यक कदम उठाएंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद।

31/03/2016/1440/MS/DC/2

अध्यक्ष: अब कटौती प्रस्ताव पर हो रही चर्चा को श्री इन्द्र सिंह जी आगे बढ़ाएंगे।

श्री इन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-9 पर जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं उन पर इस मान्य सदन में जो चर्चा हो रही है, आपकी अनुमति से मैं भी उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, पूर्ववक्ताओं ने इस विषय पर काफी विस्तृत अपने-अपने विचार रखे हैं, मैं अपने आपको समय-सीमा में बांधते हुए अपनी बात को सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र सरकाघाट में एक रैफरल अस्पताल है। इसके अलावा एक सी०एच०सी० बल्डवाड़ा में है, आठ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और 33 के करीब हेल्थ सब-सेंटर है। जो एकमात्र हमारा रैफरल अस्पताल उस पूरी बैल्ट, संघोल से लेकर घुमारवीं तक में है, मैं उसकी हालत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मंत्री जी वहां पर जो डेली ओ०पी०डी० होती है वह तकरीबन 600 है। एक साल में 1 लाख 30 हजार के करीब ओ०पी०डी० होती हैं। अगर वहां पर डॉक्टर की स्थिति देखें तो इस समय वहां पर 15 डॉक्टर के पद सृजित हैं और 10 डॉक्टर पोस्टिड है। लेकिन जो बात हमें खलती है वह स्पेशलिस्ट्स की है। उस पूरी बैल्ट में, आप भी जानते हैं, मैं बार-बार इस सदन में यह बात कहता रहता हूँ। हरेक फोरम में मैं आपको इसके बारे में बताता रहा हूँ और हरेक फोरम में आपका एक ही जवाब आता है कि कोशिश कर रहे हैं। उस पूरी बैल्ट में सालों से कोई गायनोकोलोजिस्ट नहीं है जबकि वहां लाखों की आबादी है। उसके बाद ऑर्थोपैडिशियन नहीं है, मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है और न ही एनीस्थिसिया देने वाला डॉक्टर है। उस अस्पताल का नाम रैफरल हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल क्यों रखा है? It is very strange. वहां पर 50 बिस्तर वाले अस्पताल को बढ़ाकर 100 बिस्तरों वाला कर दिया है लेकिन अभी तक वहां 70 बिस्तरों की ही कैपेस्टी बनाई है। वह भी बिस्तरों की आपस में दूरी को कम करके 50 बिस्तरों की

31/03/2016/1440/MS/DC/3

जगह 70 बिस्तर किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हाल ही में जाकर वहां पर एक इन्डोर ब्लॉक का शिलान्यास किया है परन्तु मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि वहां पर वह शिलान्यास का पत्थर ही न रहे, बिल्डिंग भी बनें और आपके इसी टैन्डोर में वहां बिल्डिंग बने, यह मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है और मुझे उम्मीद है कि यह होगा। जहां तक मैंने स्पेशलिस्ट की बात की, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप मेरे जिले के हैं so we want some out of the way treatment from your side परन्तु जो मैंने यह चार स्पेशलिस्ट्स की बात आपसे कही है, यह उस एरिया की जरूरत है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि आप संघोल से लेकर के घुमारवीं तक की बैल्ट जोकि 150-200 किलोमीटर की है और उस बैल्ट में कोई अस्पताल नहीं है सिवाय सरकाघाट के और सरकाघाट में आप एक गायनोकोलोजिस्ट नहीं दे सकते। This is very strange situation. हमारी टोटल डिपेंडेंसी उसी अस्पताल पर है यानी सरकारी संस्थानों पर ही है। वहां पर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल फॉल बैक के लिए नहीं है।

जारी श्री जे०के० द्वारा-----

31.03.2016/1445/जेएस/एजी/1

श्री इन्द्र सिंह:-----जारी-----

अगर वहां से मरीज रैफ़र होता है तो वह या तो पी.जी.आई. होता है या आई.जी.एम.सी. होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह बात आप जरूर ध्यान में रखें। हमने बहुत लम्बे अर्से से मांग की थी कि वहां पर ब्लड बैंक होना चाहिए। कम से कम ब्लड स्टोरेज युनिट तो वहां पर दे दीजिए अगर ब्लड बैंक नहीं आप दे सकते हैं। यह भी मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस विषय पर भी आप गम्भीरता से सोचें। वहां पर एम्बुलेंसिज़ तो हैं लेकिन ड्राइवर नहीं हैं। ड्राइवर के बिना एम्बुलेंस का होना क्या जरूरी है उनमें वहां पर जंग लग रही है। दो पद वहां पर ड्राइवर के सृजित हैं और एक ड्राइवर वहां पर है। फिर सी.एच.सी. बलदवाड़ा में तीन ड्राइवर्ज़ के पद सृजित हैं लेकिन वहां पर भी एक है। जमणी में भी ड्राइवर ऑथोराईज्ड हैं लेकिन वहां पर ड्राइवर

नहीं है। कुल मिला करके बहुत ही डिम सिचुएशन है। जहां तक बलदवाड़ा सी०एच०सी० की बात करूं वहां पर पांच पद डॉक्टरों के सृजित हैं लेकिन वहां पर एक डॉक्टर पोस्टिड है। कई बार वहां गांव की पी०एच०सी० से डॉक्टर बुला करके वहां टैम्पेरी डियुटी उनकी लगाते हैं। अगर वहां डॉक्टर भेजे जा रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद क्योंकि इशारा तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हाथों से हो रहा है। I hope you mean it. वहां पर भी ओ०पी०डी० 100 के करीब हर रोज़ होती है। 30 बैड का वह इन्डोर हॉस्पिटल है। इस बारे में आप सोचिए मेरी आपसे विनती है। जहां तक हमारे हैल्थ सब सैन्टर्ज की बात है, हमारे पास 33 हैल्थ सब सैन्टर्ज है लेकिन उनमें मेल हैल्थ वर्कर केवल 22 में पोस्टिड हैं और 11 हैल्थ सब सैन्टर्ज में पोस्टिड नहीं है। एक हैल्थ सब सेंटर तो ऐसा है जहां पर ताला लगा हुआ है, लोअर भांबला में वहां न कोई मेल है न कोई फीमेल हैल्थ वर्कर है। मेरा आपसे यह अनुरोध रहेगा कि बलदवाड़ा बहुत ही घनी आबादी वाला एरिया है। वहां पर एक अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाएं। क्योंकि वहां से अल्ट्रासाउंड के लिए भी सरकाघाट जाना पड़ता है और वहां पर भी लाईन में खड़ा होना पड़ता है। कम से कम रेडियोलोजिस्ट सरकाघाट से हफ्ते में एक दिन वहां आए तो वहां के

31.03.2016/1445/जेएस/एजी/2

काम हो सकते हैं, यह मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। वह बहुत ही घनी आबादी वाला एरिया है। एक मेरा आपसे और अनुरोध रहेगा कि उस एरिया में एक एम.सी.एच. होना चाहिए। आप सरकाघाट में दीजिए या बलदवाड़ा में दीजिए। I know वह क्राईटेरिया फ़िल नहीं करता है। क्यों नहीं करता क्योंकि वहां महिलाएं डीलिवरी के लिए नहीं जाती वहां पर बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। जब वे हमसे दिल्ली में रिकॉर्ड मांगते हैं तो हम रिकॉर्ड नहीं दे पाते क्योंकि वहां पर डीलिवरी सिस्टम नहीं है और वहां पर उस संस्थान में कोई डीलिवरी होती नहीं है तो एक एम.सी.एच. उस एरिया में होना जरूरी है। यह मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि उसके लिए चाहे आप कुछ भी करिए वहां के लिए एक एम.सी.एच. की व्यवस्था करिए। चाहे सरकाघाट में करिए, चाहे बलदवाड़ा में करिए।

It is required. आपने सरकाघाट में विज़िट किया। आपने देखा होगा जो आऊटडोर ब्लॉक है उसमें अभी भी चौथी मंजिल में डॉक्टरों बैठते हैं। नीचे से वे पौड़ियों से ऊपर

चढ़ते हैं। जो हॉर्ट का मरीज़ है वह कैसे वहां जाएगा? And there have been casualties on this account. वहां पर आप या तो लिफ्ट का बन्दोबस्त करिए या रैम्प का करिए। आपने मुझे कई बार आश्वासन दिए हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि वे आश्वासन कहां चले गए? न वहां पर रैम्प बना और न ही लिफ्ट बनी और जो नया इंडोर आप बना रहे हैं उसमें कृपया आप जरूर इस किस्म की सुविधाएं जरूर देना, यह मेरी आपसे विनती है। मैं, माननीय धूमल जी का धन्यवाद करता हूं, मेरे चुनाव क्षेत्र में 8 पी0एच0सी0 हैं। उस टाईम पीरियड में 8 में से 6 में बिल्डिंग बनी। आपके टाईम में 2 पी0एच0सीज0 रहते हैं और तीन साल हो गए हैं और एक भी बिल्डिंग नहीं बनी। कृपया इस बारे में भी साचिए क्योंकि दो पी0एच0सीज0 बिना बिल्डिंग के हैं Kindly look into this aspect. ढलवान का जो पी0एच0सी0 है उस बिल्डिंग की आप ओपनिंग कर दीजिए। जैसे कि बलदवाड़ा में 40 लाख की बिल्डिंग है और पैसे तो पिछली सरकार ने रखे हैं लेकिन आप उसको यूटीलाईज़ नहीं कर रहे हैं। कृपया जब आपने शिलान्यास रखना है जो कि आप अभी भी टाल गए AA&ES नहीं आया था। आप लाईए न सर। मेरे हाथ की बात है

31.03.2016/1445/जेएस/एजी/3

तो मैं लिख करके दे देता हूं लेकिन उसका आप शिलान्यास करिए और काम कराईए। 40 लाख रूपया डिवेल्यूएशन की वज़ह से पता नहीं कहां पहुंच गया? एक चीज जो मोस्ट नैगलेक्टिड है, जो स्टाफ क्वॉर्टज हमारे हैं डॉक्टरों के समझ लीजिए या पैरा मेडिकल स्टाफ के समझ लीजिए उनकी रिपेयर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। I Most of them live in inhuman conditions. Kindly look into that aspect also. यह बात यहां पर भी हुई है कि जो दवाईयां हैं और जो हमारे हैल्थ सब सेन्टरज हैं उनमें भी दवाईयां पीरियोडिकली जानी चाहिए। ऑन डीमांड भी नहीं मिलती है तो बड़ा मुश्किल है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

31.03.2016/1450/SS-AG/1

श्री इन्द्र सिंह क्रमागत:

वहां लोग जाते हैं तो उन्हें पैरासीटामोल की गोली तक नहीं मिलती। इसके बारे में भी आप सोचिये और एक इफैक्टिव स्टैप लीजिये। कुछ हॉस्पिटल्ज़ में गरीबों को दवाइयां इश्यु नहीं करते हैं। जब उनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है तो उनको चुपचाप गड्डे में दबा देते हैं। कृपया आप इसके बारे में भी सोचिये। एक और प्रॉब्लम आई है कि जिन बी०पी०एल० परिवारों के स्मार्ट कार्ड नहीं बने हैं उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त जब कोई स्मार्ट कार्ड एक्सपायर होता है और उसकी रिन्यूअल होनी होती है तो जैसे पूर्ववक्ताओं ने कहा कि रिन्यूअल के टाइम भी उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। जबकि यह फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, हम क्यूरैटिव साइड तो देखते हैं लेकिन प्रिवेंटिव साइड हमको देखना चाहिए। बीमारी न हों Let us nip the evil in the bud. आप प्रिवेंटिव साइड पर कितना खर्चा करते हैं और क्यूरैटिव साइड पर कितना खर्चा करते हैं उन दोनों को बैलेंस करने की आवश्यकता है। मैं ऐसा समझता हूं। समाज में जागृति लाने के लिए भी आप प्रिवेंटिव साइड पर कुछ इन्वेस्टमेंट करिये। इसके लिए नियमित रूप से एक बजट रखिये। आज आप प्रदेश में देखिये कि बहुत से केसिज़ ऐसे हैं कि young boys and young people are dying of heart attack. कार्डियक अरैस्ट छोटे-छोटे बच्चों को भी हो रही है। What is the reason? आप इस विषय में जाईये। बहुतों को ब्रेन हैमरेज हो रही है। हर गांव में कोई-न-कोई व्यक्ति कैंसर से इफैक्ट होता है। यह एक नया ट्रेंड आ गया है। इसके बारे में आप कोई स्टडी करिये कि उनके क्या कारण रहे हैं और उन कारणों के प्रति लोगों को जागृत करिये। यह मेरी आपसे विनती है।

यहां पर माननीय महेन्द्र सिंह जी ने मेडिकल कॉलेज सरकाघाट की बात की थी। मैं इनकी बात में अपनी बात मिलाकर उसको रिइंफोर्स करना चाहता हूं क्योंकि सरकाघाट में मेडिकल फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह ठीक है कि हम लोग वहां by birth reverse होते हैं वहां पर स्वच्छ, साफ हवा मिलती है। इन्वायरनमेंट क्लीन है, but still we need some sort of medical back up. यह मेडिकल बैकअप वहां नहीं मिल रहा है। उस एरिया में एक मेडिकल कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वह बहुत बड़ी बैल्ट है। माननीय मंत्री जी आप उस एरिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उस एरिया

31.03.2016/1450/SS-AG/2

को समझते हैं। इसलिए मुझे ज्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को देखें और हम अपने बच्चों को हिमाचल प्रदेश में देखें तो उनकी उम्र के हिसाब से उनकी कद-काठी नहीं हो रही है। अगर आप देखें कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं Something somewhere is lacking. मुझे एक बार पंडोह में बुलाया गया कि आप हरी झंडी दिखाईये, सरकाघाट के बहुत से लड़के फौज में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं। मैंने कंसर्नड बी0आर0ओ0 को बोला कि हमारे सरकाघाट के घाटू लोग बहुत मज़बूत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप देख लो, इनके दौड़ने के बाद आपको पता लग जायेगा। मैंने देखा कि जब वे दौड़े तो पहले ही राऊंड में आधे से ज्यादा गिर गये। सर, आप भी तो मंडी के हैं इसे देखिये। Look after their health aspect. मैंने अपनी कांस्टीचुऐंसी के बारे में जितनी समस्याएं थी आपको बताईं। उनको संक्षेप में रखा है क्योंकि I know the time constraints. मुझे 10 मिनट का टाइम मिला था और मैंने 12 मिनट ले लिये। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बोला आप उसको तरज़ीह देंगे। आपने सिर इस ढंग से हिलाया, मुझे नहीं पता कि हां में हुआ या न में हुआ। परन्तु मैं इसको अभी पॉजिटिवली ले रहा हूं कि कुछ-न-कुछ होगा ही।

माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

31.03.2016/1450/SS-AG/3

अध्यक्ष: अब श्री जय राम ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जय राम ठाकुर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या: 9 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर जो कटौती प्रस्ताव यहां पर हमारी तरफ से माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं मैं भी उस पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा लम्बा भाषण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज 4:00 बजे गिलोटिन एप्लाइ हो जायेगा। मुझे दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त

करनी है। मुझे से पहले अधिकांश विषयों पर श्री महेन्द्र सिंह, डॉ० राजीव बिंदल और इनके साथ-साथ और बाकी सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कहते हुए बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

जारी श्रीमती के०एस०

31.03.2016/1455/केएस/एस/1

श्री जय राम ठाकुर जारी----

सुझाव के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार की ओर से जो प्रयत्न हो रहे हैं, उसमें सुझाव भी और कमियां भी इंगित की गई है। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि कई बार जो हम संस्थान खोलने की बात कहते हैं, आवश्यकता तो है लेकिन महज राजनीतिक आवश्यकता है, इस दृष्टि से अगर हम संस्थान खोलने की कोशिश करें और वह संस्थान चलेगा या नहीं चलेगा इस बारे में हम पहले चिन्तन न करें तो मुझे लगता है कि वह तर्कसंगत बात नहीं है। मैं किसी संस्थान को खोलने का विरोध नहीं करता क्योंकि मुझे मालूम है कि फिर सत्ता पक्ष की ओर से ऐसी बातें आने लगती हैं कि अगर आपने संस्थान बन्द करने हैं तो सूची दे दो। हम सूची देने वाले नहीं हैं और आपको जो व्यवहारिक लगता है, वह करें लेकिन यह सच्चाई है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में हमारे पास दो मैडिकल कॉलेज हैं। एक आई.जी.एम.सी. शिमला है और दूसरा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टांडा है। ठीक है, दोनों संस्थान अच्छी तरह से चल पड़े हैं, उनमें अच्छा सुधार हुआ है। चाहे एक्सपेंशन की बात है, चाहे स्टाफ की बात है या सुविधा की बात है लेकिन उसके बावजूद मेरा यह मानना है कि इन दोनों संस्थानों में अभी तक भी हम कमी महसूस कर रहे हैं। जहां इन दोनों संस्थानों को हम वर्षों से सींच रहे हैं, जिनको हम चाह रहे हैं कि इनकी देश के अच्छे संस्थानों में गिनती हो लेकिन उस दृष्टि से जहां इनको पहुंचाना है, हम नहीं पहुंचा पाए हैं। उसकी वजह है

कि हमारे पास रिसोर्सिज़ बहुत लिमिटेड है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। दो मैडिकल कॉलेज चलाते-चलाते हमें कठिनाई का अनुभव हो रहा है और दूसरी तरफ राजनैतिक कारणों से बहुत सारे मैडिकल कॉलेज खोलने की बात कह रहे हैं चाहे वह नाहन की बात है, हमीरपुर की बात है या चम्बा की बात है। मैं महसूस करता हूं कि मैडिकल कॉलेज खुले। प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचनी चाहिए इसका कोई विरोध नहीं है लेकिन क्या यह सम्भव है ? क्या हम इतने सारे मैडिकल कॉलेज अपने बल-बूते पर चलाने की स्थिति में हैं? जब नहीं है तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कॉलेज खोलने के लिए महज राजनैतिक कारण नहीं बनने चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं एक दिन

31.03.2016/1455/केएस/एस/2

अखबार में पढ़ रहा था कि नाहन में मैडिकल कॉलेज खोला जा रहा है और उसको चलाने के लिए आई.जी.एम.सी. के कुछ डॉक्टरों की सूची बनाकर वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। टांडा मैडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टरों का तबादला वहां पर कर दिया गया। मैंने इस बारे में प्रश्न किया था लेकिन उसका जवाब ठीक प्रकार से नहीं आ पाया। हमने कहा कि अगर मैडिकल कॉलेज खोलने हैं तो आपने वहां पर पोस्टें क्रिएट की हैं, उसके बाद उनको भरने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की है? प्रक्रिया शुरू नहीं की है सिर्फ तबादले से भरने की कोशिश की जा रही है। उधर से हमको डंडा पड़ता है, एम.सी.आई. की टीम आ जाती है। जब दोनों कॉलेजों के इन्सपैक्शन पर वह आती है तो हमारे हाथ-पांव फूल जाते हैं। हम अन्दर की बातों को बहुत ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन यह सच्चाई है। दो मैडिकल कॉलेजों के लिए एम.सी.आई. की टीम आ जाती है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनके नॉर्मज़ के मुताबिक उसको पूरा करने की स्थिति में हम नहीं हो पाते तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें व्यवहारिक सोचने की आवश्यकता है। इसलिए डॉ० राजीव बिन्दल जी ने सोसायटी के अंतर्गत जो मैडिकल कॉलेज खोलने का जिक्र किया है, अगर उसमें आगे बढ़ने की गुंजाईश बनती है तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं महसूस करता हूं, हम आई.जी.एम.सी. में कभी-कभी जाते रहते हैं क्योंकि कभी कोई मरीज आ जाता है या किसी अन्य कारण से जाते रहते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, हमने खुद देखा है एक बैड पर तीन-तीन मरीज

होते हैं। मैडिकल कॉलेज जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है, स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए संस्थान है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

31.3.2016/1500/av/dc/1

श्री जय राम ठाकुर----- जारी

वह चिन्ता का विषय है। हम उसमें ऐक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं? हमने एक बार नहीं बल्कि बीसियों बार देखा है कि पेशेंट आया लेकिन बैड नहीं मिल रहा और उसको पूरा दिन स्ट्रेचर पर रखा हुआ है। हम आदर्श स्थिति की बातें करते हैं लेकिन वास्तव में जो स्थिति है उसको देखकर रोना आता है। हमारे पास जो स्वास्थ्य संस्थान मौजूद हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए समय-समय पर रही हमारी सरकारों ने प्रयास किए हैं। हमारी सरकार ने भी काम किया और आप भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, मैं यह महसूस करता हूँ। आप शिमला मेडिकल कॉलेज के लिए एक स्थान निर्धारित कर दीजिए। आज की तारीख में व्यावहारिक पक्ष देखा जाए तो वहां के लिए चारों तरफ से सड़कें जाती हैं। मरीज गाड़ी के अंदर एक-एक घंटे तक फंसा रहता है। किसी को हार्ट अटैक हो जाए या किसी का ऐक्सिडेंट हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह आप सोच सकते हैं। गाड़ी एक-एक घंटे तक जाम में फंसी रहती है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस बात पर निश्चित रूप से विचार करें क्योंकि अब हम इस संस्थान को बदलने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई मरीज टैक्सी या एम्बुलेंस में आता है और उसको तुरंत इलाज की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति को देखते हुए उन सड़कों को हम चौड़ा कैसे कर सकते हैं, इस पर कदम उठाने की आवश्यकता है। वहां किस प्रकार से पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है; इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि मेडिकल कॉलेज,

टांडा आज की डेट में आई0जी0एम0सी0 से आगे निकलता जा रहा है। इसको आप सुविधा की दृष्टि से देखो या स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से देखो। वहां का एकेडेमिक ऐटमॉसफेयर देखकर हमें खुशी होती है। ऑल इंडिया रैंकिंग में शायद टांडा मेडिकल कॉलेज का 17वां रैंक आ रहा है। लेकिन शिमला में ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है। यहां पर कर्नल साहब ने ठीक बात कही। यहां बार-बार कहा जा रहा है कि

31.3.2016/1500/av/dc/2

इलाज अच्छा हो, सुविधा अच्छी हो। मगर अवेयरनेस की दृष्टि से जो बजटरी प्रोविजन्स करने चाहिए वह नहीं किए जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती थी। यह एक छूआछूत की बीमारी है और एक-दूसरे से फैलती है। परिवार में किसी एक को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए और परहेज न किया जाए तो परिवार में दूसरे व्यक्ति को हो जाती है। आज भी हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ट्यूबरक्लोसिस के बहुत मामले सामने आते हैं क्योंकि वहां पर जानकारी का अभाव है। इसलिए प्रिवेंटिव साइड; जिसका यहां पर जिक्र कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय पर इलाज न करवाया जाए तो ट्यूबरक्लोसिस एक जानलेवा बीमारी है। मैं मानता हूं कि शहरी क्षेत्र में जानकारी का अभाव उतना नहीं होगा मगर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके बारे में लोगों में जानकारी का अभाव है। इसमें डायबिटीज है, जिसके बारे में गांव के लोगों को पता ही नहीं चलता। इन चीजों के लिए बजटरी प्रोविजन्स के साथ-साथ सरकार को गम्भीरता से प्रयत्न करने चाहिए ताकि गांव में जाकर कैम्प लगे। वहां जाकर उनके स्वास्थ्य का चैकअप हो। वहां पर इलाज हो और उसके बाद की प्रक्रिया आगे होस्पिटल में शुरू होनी चाहिए। आप जो संस्थान खोलने की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर अपने चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। संस्थान खुल रहे हैं मगर दुख इस बात का है कि वे संस्थान खाली पड़े हैं। हमारे सी0एच0सी0 बगस्याड़ में लगभग डेढ़ वर्ष से कोई डॉक्टर नहीं था। (---व्यवधान---) अभी डॉक्टर भेजे हैं, दो भेजे हैं। एक बी0एम0ओ0 है और मुझे लगता है कि अब दूसरे डॉक्टर ने भी ज्वाइन कर लिया है। वहां पर डेढ़ साल से कोई डॉक्टर नहीं था। एक दिन तो वहां पर ऐसी स्थिति हुई कि एक ऐक्सिडेंट केस में एक व्यक्ति को झंझयाड़ी लेकर गये मगर

वहां कोई डॉक्टर नहीं था। उसके बाद पी०एच०सी०, थुनाग ले गये मगर वहां पर भी कोई डॉक्टर नहीं था। उसके बाद सी०एच०सी० बगस्याड़ पहुंचे मगर वहां भी कोई डॉक्टर नहीं था। इसलिए जब मैं ऐक्सपेंशन की बात करता हूं; तो ठाकुर साहब, मैं चाहूंगा कि इस फट्टा लगाने की रिवाज को थोड़ा कम करो। आप गोहर में गये और माननीय मुख्य मंत्री जी भी आपके साथ थे। ठीक है, जाइए।

टीसी द्वारा जारी

31.3.2016/1505/TCV/DC/1

श्री जय राम ठाकुर ---- जारी ।

आपका अभिनन्दन है, स्वागत है। 35 बैड का हमारा हॉस्पिटल था, फटा लगा दिया कि 50 बैड का कर दिया गया है लेकिन डॉक्टर केवल 3 ही है। डॉक्टरों की 8 पोस्टें सैंक्शंड हैं लेकिन 3 डॉक्टर पोस्टिड हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में पी०एच०सी० बागाचणोगी, जिसका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं, उसका उद्घाटन कर दिया गया लेकिन ताला लगा है। खोलानाल में पी०एच०सी० का उद्घाटन कर दिया गया मगर वहां भी ताला लगा हुआ है। कल्हणी पी०एच०सी० की नोटिफिकेशन हो गई है उसको फंक्शनल करने की बातें हों रही है लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यदि चले हुए संस्थान राजनैतिक कारणों से बन्द हो जाये तो मुझे लगता है कि इसे रोकने की आवश्यकता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो व्यवहारिक पक्ष है इसके बारे में आप निश्चित रूप से विचार करें। दूसरे, जहां तक मण्डी के कालेज का इश्यु है एक समय था जब इस कालेज को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि मण्डी में मैडिकल कॉलेज होना चाहिए। सरकार में जो लोग है उन्होंने कहा कि मैडिकल कॉलेज हम देंगे और कागज पर थोड़ी-सी फॉर्मैल्टी करके वह कर दिया था। इसकी नोटिफिकेशन की गई और वह भी आचार संहिता लगने के बाद की गई। लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं हुई, हम उस बात को भूलना चाहते हैं। उसके बाद कहा कि मण्डी में एक ई०एस०आई० मैडिकल कॉलेज आपको दिया गया है। माननीय कौल सिंह जी जो

वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थे। केन्द्र में आपकी सरकार थी और केन्द्र से आपके मंत्री आये। अब वह इन्फ्रास्ट्रक्चर बन कर लगभग तैयार हुआ है। यह अच्छा हो जाएगा यदि स्वास्थ्य मंत्री मण्डी से रहते हुए वह मैडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी शुरू हो जाये क्योंकि आपने उद्घाटन तो कर दिया लेकिन फट्टे लगाने की पता नहीं क्या जल्दी है ये हमारी समझ से परे की बात थी। इसलिए यह मैडिकल कॉलेज चर्चा का विषय बना हुआ है और इस कॉलेज की बिल्डिंग का ढांचा खड़ा है, उद्घाटन कर दिया गया है लेकिन मैडिकल कॉलेज अभी तक भी चलने की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर इस वक्त इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है और इस कॉलेज को शुरू करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको स्वास्थ्य की सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कुछ कदम उठाने

31.3.2016/1505/TCV/DC/2

की आवश्यकता है। एक बेसिक युनिट होता था जिसको हम हैल्थ सब सेंटर बोलते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 70 परसेंट हैल्थ सब-सेंटर में स्टॉफ या तो एक है या एक भी नहीं है। इनमें न फिमेल हैल्थ वर्कर है और न मेल हैल्थ वर्कर है। मुझे लगता है कि इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ मेरा यही निवेदन है कि संस्थान खोलिए लेकिन खोलने से पहले उसको चलाने का कैसे प्रावधान हो सकता है इस पर मुझे लगता है कि इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। इतना मैं कहना चाहता हूं। मण्डी में मैडिकल कॉलेज यह हम सब लोगों की मांग है बल्कि मांग ही नहीं यह वहां की आवश्यकता है और आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप मंज़िल के करीब पहुंच गये हैं और उस दृष्टि से हम मंत्री जी से और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस मैडिकल कॉलेज को शुरू किया जाये। इसके साथ ही मेरे चुनाव क्षेत्र में जिसमें आपका भी प्रवास होता रहता है और वहां के सारे लोग भी आपको मिलते रहते हैं उन लोगों ने आपसे बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। पी.एच.सी. थुनाग में एक ही डॉक्टर और एक ही स्टॉफ नर्स है, वह पिछले तीन वर्षों से डैपूटेशन पर है। सी.एच.सी. जन्जैहली में एक डॉक्टर है। सी.एच.सी. बगस्याड़ में अभी दो डॉक्टरों की बात कही है। पी.एच.सी. गाड़ागुसेणी में डॉक्टर नहीं था अभी वहां पर

डॉक्टर आया है। इसी प्रकार थाची, पंजाईन और बालीचौकी में एक-एक डॉक्टर से पी.एच.सी. चलाने में बहुत भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे स्वास्थ्य संस्थान खाली होने की वज़ह से स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही है, इस पर सरकार चिंता करें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आर०के०एस० द्वारा--- जारी।

31.03.2016/1510/RKS/DC/1

Speaker: I would like to ask the Hon'ble Health Minister that how much time would you take to reply?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष जी, काफी मामले उठे हैं तो मुझे जवाब देने में आधा घंटा या 40 मिनट में I will try to finish. सर, गिलोटीन कितने बजे लगेगा।

Speaker: Guillotine will apply at 4.00 p.m.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: तब तो समय है।

अध्यक्ष: तब तो एक वक्ता और बोल सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: सर, मुझे कोई एतराज नहीं है। let him speak and I am ready to reply.

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी आप कृपया संक्षेप में बालिए।

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या: 9 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) पर जो सरकार ने प्रस्तावना की है उसके अंतर्गत 1 हजार 671 करोड़ 65 लाख 86 हजार

की मांगे इस मान्य सदन में प्रस्तुत हुई है। इस पर जो हमने कटौती प्रस्ताव दिए हैं मैं उस संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि जब भी मैं अपने क्षेत्र की बातें लेकर इनके पास गया हूँ तो कम-से-कम डॉक्टरों की नियुक्ति अनेकों स्थानों पर हुई है। जहाँ तक दुर्गम क्षेत्रों की बात है वहाँ पर विशेषकर पैरा मैडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर मंत्री महोदय बीच में अस्वस्थ नहीं होते तो उस कमी को भी काफी हद तक पूर्ण कर देते। जहाँ तक भवनों के निर्माण का संबंध है इसके लिए बड़ी उदारता से सरकार ने पैसा दिया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य मंत्री महोदय व मंत्री महोदय जी ने एक 25 बैडिड हॉस्पिटल गांव तेगु बेहड़ में दिया है। वर्ष 2015 में उसका

31.03.2016/1510/RKS/DC/2

शिलान्यास हुआ था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया था कि पैसा होने के बावजूद भी इस कार्य को करने के लिए लोक निर्माण विभाग बहुत समय ले रहा है। अगर आप यहां प्री-फेबरिकेटिड स्ट्रक्चर के आदेश प्रदान कर दें तो इसी वर्ष भवन तैयार हो सकता है। मुझे विश्वास है कि इस मांग पर मंत्री महोदय अवश्य ध्यान देंगे। जहाँ तक डेपूटेशन का संबंध है इसका निराकरण अवश्य होना चाहिए। क्योंकि पैरा मैडिकल स्टाफ कई जगह बड़े हॉस्पिटलों में बैठा है, गांव में नहीं है।

श्री एस.एल.एस....द्वारा जारी

31.03.2016/1515/SLS-AG-1

श्री महेश्वर सिंह...जारी

महोदय, मैं पी.एच.सी. जरी की बात करूँगा। जरी में पी.एच.सी. है लेकिन वह स्वस्थ नहीं है। वहाँ पर डॉक्टर्स और स्टॉफ क्वार्टर्स रिपेयर के लिए वर्ष 2014 में 20.00 लाख रुपया मिला है जो अभी तक खर्च नहीं हुआ है। कारण यह है कि पुराने स्ट्रक्चर के

ऊपर सैकिंड फ्लोर नहीं बन सकता; वह वज़न सहन नहीं करेगा। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है कि उन बिल्डिंग को डेमोलिश करके अच्छे डॉक्टर्ज़ रैजिडेंस और क्वार्टर्ज़ बनने चाहिए। जहां तक पी.एच.सी. भवन की बात है उसमें भी पेशेंट वार्ड को जोड़ने की आवश्यकता है। उसके लिए पैसा भी और जगह भी उपलब्ध है। मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से यह कार्य पूर्ण हो सकेगा।

इसी प्रकार से पी.एच.सी. भुट्टी है। आपने संभवतः मंत्री बनने के बाद कुल्लू में वहां पहला शिलान्यास किया था। वहां से वैटरिनरी हॉस्पिटल का एक पोर्शन शिफ्ट हो गया जिसमें आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा। लेकिन जो मेन बिल्डिंग है, वह जगह भी समतल हो गई है, डवलप हो गई है इसलिए उसके लिए आपने प्री-फैब्रिकेशन बिल्डिंग के आदेश किए हैं। संभवतः वह इस वर्ष तैयार हो जाएगी।

जहां तक जरी का सवाल है उसमें मैं आपसे एक बात की शिकायत करना चाहूंगा कि जो आपकी स्वास्थ्य नीति है उसके अनुसार डॉक्टर्ज़ को 8 किलोमीटर के रेडियश में रिजार्ड करना होता है। लेकिन इस समय नियुक्त बी.एम.ओ. महोदय बार-बार कहने के बावजूद भी वहां नहीं रहती। शायद वह ज्यादा होमसिक रहती है। वह कुल्लू जिला की ही है, इसलिए रोज भाग जाती है और शाम को एमरजेंसी ड्यूटी पर कोई नहीं होता। इस बात को देखने की आवश्यकता है।

31.03.2016/1515/SLS-AG-2

महोदय, खराल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो नगर ब्लॉक में पड़ता है और कुल्लू शहर के सामने है। आपसे और मुख्य मंत्री महोदय से डैपुटेशन भी मिल चुका है। उसमें 5 पंचायतें हैं और 9000 की आबादी है। वहां केवल-और-केवल एक सब-

सेंटर किंजा है। उसको अपग्रेड करके पी.एच.सी. बनाने की आवश्यकता है। आपने और मुख्य मंत्री महोदय ने उसके सर्वेक्षण की फील्ड रिपोर्ट मांगी थी। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष इस मांग को भी पूर्ण किया जा सकेगा। आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से वहां लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होगी।

आपने बन्जार हॉस्पिटल के बारे में बड़ी डिटेल में उत्तर दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो एनक्रोचमेंट को लेकर अपील की गई थी वह डिसमिस हो चुकी है। केवल उनको उठाना है। लेकिन उसके सिवाये भी वहां पर बहुत जगह उपलब्ध है। कुछ जगह वन विभाग की है जो कि हॉस्पिटल के पोजेशन में है। पहले भी उसका डिटेल्ड ऐस्टिमेंट बन रहा था। वह बिल्डिंग चरणबद्ध तरीके से बनने वाली है। सरकार की कृपा से 50.00 लाख रुपये भी उसके लिए आए हैं और ऐडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एवं फाईनैशियल सैंक्शन भी मिल गई है। वर्ष 2012 में जाते-जाते पूर्व विधायक महोदय इसका शिलान्यास कर गए हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसका काम शीघ्रातिशीघ्र शुरू हो सकता है क्योंकि एक साथ तो वह बिल्डिंग उखाड़ी नहीं जाएगी।

एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। महोदय, आपको भी याद होगा कि जब तेगुबैड में हॉस्पिटल के शिलान्यास के लिए आप गए थे तब भी मैंने आपसे आग्रह किया था कि भून्तर बाजार में स्वर्गीय मियां हुकम चन्द ने स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य भवन हेतु भूमि दान में दी थी। पहले वहां पर पी.एच.सी. चलती थी। पी.एच.सी. की बिल्डिंग बन गई लेकिन फिर उस जगह को पुलिस वालों के हवाले कर दिया गया। पुलिस चौकी चल पड़ी जिसकी जगह अब थाना बन गया। उनके पास अपनी पर्याप्त जगह और अकॅमोडेशन है लेकिन उन्होंने वह कब्जा नहीं छोड़ा है। उधर मियां हुकम चन्द जी के

बारिसों ने लीगल नोटिस दिया है कि the land is not being used for the purpose for which it has been donated.

जारी ...गर्ग जी

31/03/2016/1510/RG/AG/1

श्री महेश्वर सिंह की अंग्रेजी के पश्चात----क्रमागत

इसलिए या तो वहां स्वास्थ्य की कोई सुविधा दीजिए या हम इसको वापस ले लेंगे। आपने कृपा करके डी.सी. महोदय को फोन भी किया था कि इसको खाली करवाओ

और 'मदर-चाइल्ड केयर यूनिट' की आपने बात कही थी। मुझे विश्वास है कि वह बहुत जल्दी हो सकता है और 'मदर-चाइल्ड केयर यूनिट' के लिए केन्द्र से पैसा भी आया है। इसलिए मैं इस बात को भी आपके ध्यान में लाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सरकार ने एक नए आदेश जारी किए हैं कि जो डॉक्टर prescription देते हैं उस पर ब्रांडेड दवाई का नाम न लिखकर, केवल सॉल्ट और जेनेरिक लिखकर देना चाहिए। इस प्रकार करने से कैमिस्ट को मनमानी दवाई देने का अवसर मिलेगा। एक नाम की और एक सॉल्ट की कई दवाइयां बाजार में हैं। यह डॉक्टर देखता है कि कौन सा ब्रांड और कौन सी दवाई सूट करती है। ब्लड प्रेशर की कई दवाइयां हैं। इसलिए ऐसा न हो कि वह महंगी-से-महंगी दवाई देता जाए और जो दवाई रोगी को सूट न करे, उसका लाभ नहीं है। इसलिए डॉक्टर को यह अलॉउड होना चाहिए क्योंकि वह जानता है कि उसके मरीज़ को कौन सी दवाई सूट करेगी और यदि उसको ब्लड प्रेशर है, तो कौन सा साल्ट सूट करेगा। इस पर आप पुनर्विचार करें ताकि लोगों का उत्पीड़न न हो सके।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पास राजस्व विभाग भी है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी यहां बैठे हैं। वर्ष 2014 में तहसील भून्तर का शिलान्यास हुआ और साथ में एक पर्यटन सूचना केन्द्र का भी शिलान्यास हुआ। लेकिन वह फॉरेस्ट लैण्ड क्लेम की जा रही है जबकि वह provincial government land है। वह अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई। क्योंकि अब सरकार के पास एक हैक्टेयर तक का अधिकार आ गया है इसलिए वह जल्दी-से-जल्दी जगह ट्रांसफर हो ताकि तहसील भवन भी बन जाए और पर्यटन सूचना केन्द्र भी बन जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके और सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।

31/03/2016/1510/RG/AG/2

अध्यक्ष : अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मैडिकल ऐजुकेशन के बारे में हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यहां कटौती प्रस्ताव दिए थे। इन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में और जो कमियां विभाग में हैं उनके बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया है। जिन सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और जिन सदस्यों ने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं, निश्चित तौर पर उन पर हमारी सरकार काम करेगी।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और इसकी भौगोलिक स्थिति काफी कठिन है। यहां 90% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, सिर्फ 10% लोग ही शहरी क्षेत्र में रहते हैं। श्री वीरभद्र सिंह सरकार का जो उद्देश्य है वह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है। उस उद्देश्य को लेकर चाहे नए स्वास्थ्य संस्थाएं खोलने का मामला है या चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति का मामला है उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां ज्यादा काम होते हैं वहां गलतियां भी हो सकती हैं और उनको सुधारना हमारा काम है और उनको हमारे ध्यान में लाना इनका कर्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय, श्री महेन्द्र सिंह जी को एक आदत है कि सदन में flutter पैदा करना। एक ऑक्सीजन गैस प्लांट के बारे में इन्होंने मामला उठाया और जिस व्यक्ति ने इनको ब्रीफ किया है उसने इनको गलत तरीके से ब्रीफ किया है। यह जो 'माण्डव गैस एजेन्सी' है, इसको सबसे पहले किसने इंट्रोडियुस किया? सबसे पहले वर्ष 2011 में जब इनकी सरकार थी, उस समय ये टैण्डर हुए और टैण्डर भी विधिवत तौर पर हुए, हम नहीं कहते कि टैण्डर में कोई हेरा-फेरी हुई है। उस समय उसके कम रेट्स थे। इसलिए उस वक्त की सरकार ने उसको गैस सप्लाई तीन साल तक करने का मौका दिया। उसके बाद फिर टैण्डर करने की कोशिश की

एम.एस. द्वारा जारी

31/03/2016/1525/MS/AS/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी-----

हमने टैण्डर किए लेकिन वही व्यक्ति जिसकी आप यहां वकालत कर रहे हैं, वह उच्च न्यायालय में चला गया कि मुझे ये शर्तें सूट नहीं कर रही हैं। उच्च न्यायालय ने उसकी पीटिशन रिजैक्ट कर दी। फिर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले साल के बजट में कहा कि हम गैस की कमी को दूर करने के लिए IGMC में एक ऑक्सीजन प्लांट पी0पी0पी0 मोड पर लगाएंगे। उस दिशा में हमारे विभाग ने आगे कदम बढ़ाया और कदम बढ़ाकर बाकायदा इसमें प्रि-बिड हुई तथा टैण्डर हुए। जैसे आपने कहा कि एक बार एक ही टैण्डर आया, हमने कैसिल किया और यहां लिखा गया है कि तीन-चार नेशनल न्यूज पेपर्स "ट्रिब्यून", "टाइम्स ऑफ इण्डिया" तथा "अमर उजाला" वगैरह में टैण्डर का नोटिस दिया। फिर उसमें तीन कम्पनियों ने हिस्सा लिया। जब तीन कम्पनियों ने हिस्सा लिया तो फिर वही आपका व्यक्ति उच्च न्यायालय में चला गया और उसने उच्च न्यायालय में कहा कि देखो मुझे यह नहीं करने दिया। जब यह व्यक्ति दो-तीन बार उच्च न्यायालय में गया तो उच्च न्यायालय ने क्या कहा, मैं उच्च न्यायालय की जजमेंट का लास्ट पोर्शन यहां पढ़ देता हूँ। Para 26:- "The petitioner has already invoked the jurisdiction of this Court. Perhaps he was accepting that the contracts should have been awarded to it. Earlier the supplies were made to the official respondents on cheaper rates. But because of the intervention of this Court, the arrangements stand cancelled. And now the supplies have been made on higher rate and thus has made the State to suffer because of the conduct of the petitioner". यह है महालक्ष्मी ऑक्सीजन कम्पनी। "The way petitioner is trying to get the contract speaks itself and in order to prevent the litigations of such nature we deem it proper to settle the petitioner with cost. Accordingly the Writ Petition is dismissed along with all pending applications, if any, with cost quantified as Rs. 20000". He was penalized by the Hon'ble High Court. Sir, our Health Services in the State are much better as compare to the all India level and we are committed to provide qualitative medical facilities to the people of Himachal Pradesh. Within the limited resources, we have tried to

31/03/2016/1525/MS/AS/2

enhance health services and I am thankful to the Hon'ble Chief Minister for increasing our Budget manifold. This year our Budget is Rs. 1694.20 crores which is much higher than the last year's Budget. Because we have opened many new institutions जैसे आपने कहा कि प्लांट 86 लाख रुपये में बन रहा है और बिजली तथा पानी का कनेक्शन भी हम दे रहे हैं और आपने यह भी कहा कि एकाॅमोडेशन भी हम ही दे रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो शर्तें उनके साथ हुई हैं, उसके अनुसार वह बिजली का अपना ट्रांसफार्मर लगाएंगे और खुद पैसा वहन करेंगे। बिजली और पानी का पैसा भी वे स्वयं देंगे और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी खुद तैयार करेंगे। जहां तक आपने कहा कि 86 लाख रुपये का प्लांट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह टोटल अढाई से तीन करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है। हमारा इस प्रोजैक्ट में कुछ लेना-देना नहीं है। मैंने अपने क्षेत्र में एक लिफ्ट लगाई है। मैंने इसके लिए कोटेशनज मांगी। उन्होंने कहा कि इसको लगाने में 20 लाख रुपये लगेंगे। दूसरी भी कई कम्पनीज लिफ्ट्स बनाती हैं मैंने उनसे कहा तो मेरी 7 लाख रुपये में लिफ्ट लग गई। इसी तरह से ऑक्सीजन प्लांट की भी कई तरह की कम्पनीज हैं। कई ब्रांडिड कम्पनीज हैं वे ज्यादा रेट लेती हैं और कई कच्चा जैसा काम करती हैं, जिसका टैण्डर आपने यहां भेजने की कोशिश की है। एक हमने कैलकुलेशन की है। हम पहले 341/-रुपये में सिलेण्डर लेते थे और अपनी गाड़ी यहां से भेजते थे। अब उसका रेट 255/-रुपये किया है और 86 रुपया हम एक सिलेण्डर पर बचा रहे हैं यानी एक महीने में 3 लाख 1 हजार रुपये हम बचा रहे हैं। इसी तरह से जो पांच साल का एग्रीमेंट उसके साथ हुआ है तो 1 करोड़ 80 लाख 60 हजार रुपये हमारा विभाग इसमें बचा रहा है। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ जिस व्यक्ति की जैसी मॅटल टैंडेंसी होती है उसी दिशा में वह सोचता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 40 साल की राजनीति में हमने पारदर्शिता के साथ काम किया है और अगर मैं बताऊं तो इसके लिए टैक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई थी। जब यह मामला हमारे पास आया।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

31.03.2016/1530/जेएस/एएस/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री:-----जारी-----

I though it better to take it to the Cabinet. आपने कहा कि केबिनेट मीटिंग में कुछ नहीं होता है और जैसे ही एजेंड आता है तो पास हो जाता है। यह शायद आपके वक्त में होता होगा। हमारे वक्त में तो एक-एक आइटम पर डेलिबरेशन होती है, डिस्कशन होती है उसके बाद the Cabinet decides whether to approve or disapprove or to withdraw item. केबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। आपके दिमाग में जो कोई बात है जिसने आपको ब्रीफ किया है उस व्यक्ति ने आपको गलत ब्रीफ किया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वास्थ्य संस्थान खोलने की बात है। हमें खुशी है, जैसे मैंने कहा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं काफी बेहतर हैं। हमारे हैल्थ इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को हैल्थ इंडिकेटर्स से मापा जाता है कि हमारा डैथ रेट क्या है, हमारा बर्थ रेट क्या है, हमारी शिशु मृत्यु दर क्या है, हमारी मदर मृत्यु दर क्या है, हमारा फर्टिलेट रेट क्या है, वह पूरे नेशनल एवरेज से हमारा बहुत अच्छा है इसलिए हमारे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। जब मैं वर्ष 1985 से 1990 के बीच में स्वास्थ्य मंत्री था उस वक्त सारे देश के लिए एक स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने के लिए 5 हजार की आबादी निर्धारित थी और एक प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोलने के लिए पूरे देश में 30 हजार की आबादी उस वक्त निर्धारित की गई थी। जब हैल्थ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस हुई उसमें मैंने कहा कि क्या आप पूरे देश को एक नज़र से देख रहे हैं? हिमाचल प्रदेश और पंजाब का एरिया बराबर है? हमारी आबादी सिर्फ 62 लाख है। इसलिए मैंने वहां पर इंडिकेटर्स घटाए हिमाचल सब सैन्टर्स के लिए 3 हजार की आबादी पर एक सब सैन्टर खोलने का फैसला लिया गया। 30 हजार की आबादी से 20 हजार की आबादी में एक प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोलने का फैसला लिया। 1 लाख 20 हजार की आबादी में कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर खुलता था उसको हमने 80 हजार पर लाने के लिए उस समय मोहसिना किदवई जी उस समय मंत्री थीं, उनसे मैंने यह बात मनवाई और हमने इसको कम करने की कोशिश की है। जहां तक स्वास्थ्य संस्थाएं खोलने की बात है। यह ठीक है कि यहां पर

31.03.2016/1530/जेएस/एस/2

कहा गया कि स्वास्थ्य संस्थाएं खोली गईं लेकिन डॉक्टर नहीं हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। इस वक्त हमारे पास 500 डॉक्टर की शॉर्टेज है और हम कोशिश कर रहे हैं। हर मंगलवार को इन्टरव्यू हो रहे हैं। परसों भी इन्टरव्यू हुआ। मैं डायरेक्टर से पूछ रहा था कि कितने डॉक्टर आए थे। उन्होंने बताया कि 40 डॉक्टर आए। मैंने कहा कि प्रोपोज़ल वहीं की भेजनी है जहां किसी पी0एच0सी0 में डॉक्टर नहीं है। हम उनमें डॉक्टर को लगाने की कोशिश करेंगे। पीछे मैंने ज़वाब दिया था, मैंने कहा था कि 35 प्राइमरी हेल्थ सेंटर अभी हमने फंक्शनल नहीं किए हैं। वहां पर न डॉक्टर है न फार्मासिस्ट है। हम उनको भी फंक्शनल करने की कोशिश करेंगे। मुख्य मंत्री महोदय जब फील्ड में जाते हैं इनके पास लोगों की मांग आती है, विधायकों की मांग आती है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की घोषणा करो। स्वास्थ्य उप-केन्द्र की घोषणा करो। स्कूल की घोषणा करो। तहसील की घोषणा करो और सब तहसील की घोषणा करो। मुख्य मंत्री जी दयालु हैं वे चाहते हैं कि प्रशासन जनता के द्वार पहुंचे और ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जनता के घर-द्वार पहुंचे। इसलिए हमने स्वास्थ्य सेवाएं खोली हैं। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने तीन साल में कितनी स्वास्थ्य संस्थाएं खोली और आपने पांच साल में कितनी खोली थी। हेल्थ सब सेंटर आपने पांच साल में एक भी नहीं खोला, हमने तीन साल में 15 स्वास्थ्य उप केन्द्र खोले हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपने अपने पांच साल में 19 खोलें और हमने 67 खोल दिए हैं। जो 19 हेल्थ सब सेंटर आपके समय में खुले थे उनमें स्टाफ कोई भी नहीं था। उनका भी हम प्रोसैस जारी कर रहे हैं। जैसे कि आपके चुनाव क्षेत्र में मैं गया था, वहां पर बिल्डिंग बन गई है लेकिन वहां पर न डॉक्टर की पोस्ट, न फार्मासिस्ट की पोस्ट और न क्लास फोर की पोस्ट है। अब हम उनको केबिनेट में ले जा रहे हैं ताकि उनको हम करें। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आपने पांच खोलें जिसका जिक्र महेन्द्र जी ने किया कि धर्मपुर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन गया, यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन गया लेकिन स्टाफ कोई नहीं बढ़ाया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चार डॉक्टर होते हैं और दूसरा पैरा मैडिकल स्टाफ होता है लेकिन वह नहीं बढ़ा था। अब

31.03.2016/1530/जेएस/एस/3

हम बढ़ाएंगे क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका भी दर्जा बढ़ाने की घोषणा की है।

सिविल हॉस्पिटल आपके समय में पांच साल में दो खुले, हमने 20 सिविल हॉस्पिटल हिमाचल प्रदेश में बनाए हैं। ई.एस.आई. डिस्पेंसरी आपने एक दी हमने कोई नहीं खोली है। मेडिकल ब्लॉक्स आपके वक्त में एक खुला था हमारे समय में हमने तीन नए निर्धारित किए हैं। तो टोटल आपने 28 इंस्टीट्यूशनल हेल्थ के खोले हैं,

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

31.03.2016/1535/SS-DC/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागत:

हमने 127 इंस्टीट्यूशनल पिछले तीन साल में स्वास्थ्य विभाग में खोले हैं जो अपने आपमें एक बड़ी उपलब्धि है। फिर आप पैरा-मेडिकल स्टाफ की बात करते हैं। यह ठीक है कि पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी है। जहां स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होता है, एक्सपेंशन होती है, वहां पैरा-मेडिकल स्टाफ के लोगों की भर्तियां करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये हर बार कहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कंजूसी नहीं कर सकते और जो ज़रूरत है उसके मुताबिक ये पोस्टें देते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं तीन बार कैबिनेट में मामला ले गया, हालांकि फाइनांस की बड़ी रिजर्वेशन थी लेकिन इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के मामले में हम कोई कंजूसी नहीं कर सकते। तो अभी जो हमने पोस्टें क्रियेट की हैं कुछ पोस्टों का मैं विवरण देना चाहता हूं। जैसे एडिशनल डायरेक्टर की हमने तीन पोस्टें की हैं। मेडिकल सुपरिटेण्डेंट की आपने तीन साल में कोई पोस्ट नहीं बनाई जबकि हमने 9 मेडिकल सुपरिटेण्डेंट की पोस्टें क्रियेट कीं। आपने पांच साल में मेडिकल ऑफिसर की 17 पोस्टें क्रियेट कीं और हमने 214 पोस्टें क्रियेट की हैं। स्टाफ नर्सिज़ की आपके वक्त में 316 पोस्टें हुईं और हमने 465 पोस्टें क्रियेट कर दी हैं और लगभग इतनी ही पोस्टें हमने भर भी दी हैं। फार्मासिस्ट की आपके पांच साल के वक्त में 4 पोस्टें क्रियेट हुईं जबकि हमने 137 पोस्टें फार्मासिस्ट की क्रियेट की हैं। इसी तरीके से आपके समय लैब टेक्निशियन की एक पोस्ट क्रियेट हुई और हमने 153 पोस्टें लैब टेक्निशियन की क्रियेट की हैं जो अपने आप में ही एक उपलब्धि है। आप देखेंगे कि आपके वक्त में चार नर्सिंग सिस्टर हमारे नर्सिंग कॉलेज को चलाने के लिए थीं जोकि टीचिंग में हैं।

हमने वे पोस्टें 59 कीं ताकि हमारे नर्सिंग कॉलेज ठीक तरीके से चलें। इसी तरह से आपने लैब असिस्टेंट की एक पोस्ट क्रियेट की जबकि हमने 112 पोस्टें क्रियेट कीं। क्लर्क की आपने 19 पोस्टें पांच साल में क्रियेट कीं और हमने 129 पोस्टें की हैं। आपने ड्राईवर की कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की है जबकि हमने 20 क्रियेट की हैं। इसी तरह से आपने टेक्निशियन की कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की, हमने 24 पोस्टें क्रियेट की हैं। सुपरवाइजर की आपने कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की जबकि हमने 15 पोस्टें क्रियेट की हैं। इस तरीके से आपके वक्त में क्लास-IV की 2 पोस्टें और हमने 345 पोस्टें क्रियेट की हैं। यह अपने आप में एक उपलब्धि है। आप स्वीपर की बात कर रहे थे। स्वीपर की आपके

31.03.2016/1535/SS-DC/2

वक्त में एक पोस्ट क्रियेट हुई, हमने 112 पोस्टें भर दी हैं। --(व्यवधान)--पहले आप बोल लो, जो आपने बोलना है। जब मैंने इनको इंटरफियर नहीं किया, then why is he interfering? मैं हर चीज़ का जवाब दे रहा हूँ।

अध्यक्ष: आप (श्री सुरेश भारद्वाज) इसका क्लैरिफिकेशन बाद में ले सकते हैं, बीच में मत बोलिये। बीच में बोलने से interruption will take more time. आप इसके बाद इनसे पूछ सकते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो अभी हमने पोस्टें कमिशन को दे दी हैं या जो स्टाफ सबोर्डिनेट सिलैक्शन बोर्ड है वहां पोस्टें दी हैं, उनमें चिकित्सा अधिकारी की 50 पोस्टें हैं। उनकी इंटरव्यू भी हो गई है। अभी दो दिन पहले ही रिजल्ट आया। स्टाफ नर्स की 381 पोस्टें सबोर्डिनेट सिलैक्शन बोर्ड को दी हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 120 पोस्टें भरने के लिए दी हैं। फार्मासिस्ट की 80 पोस्टें दी हैं। वे एडवरटाइज़ भी हो गई हैं। रेडियोग्राफर की 30 पोस्टें दी हैं। ओटीए की 35 पोस्टें दी हैं और कनिष्ठ सहायक आईटी की हमने 120 पोस्टें दी हैं। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें ये पोस्टें भरने की इजाज़त दी है।

इसके अलावा जो आउटसोर्स की बात करते हैं, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एचएलएल कम्पनी है उन्होंने इंटरव्यू करके 124 स्टाफ नर्सिज़ हमें

दी हैं। उसकी तनख्वाह वे खुद दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 322 चिकित्सा अधिकारी के पिछले हफ्ते ही रिजल्ट निकले हैं। फार्मासिस्ट 161 दिये। हमने फीमेल हेल्थ वर्कर्स में 161 की भर्ती की है। मेरा कहने का मतलब है कि हमने एक्सपैंशन के साथ-साथ स्टाफ को भरने का प्रोसेस निरन्तर शुरू कर दिया है। आज फिर मामला उठाया। जय राम जी ने भी कहा कि यहां से डॉक्टरों को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। मैंने उस दिन विस्तृत तौर पर जवाब दिया था कि हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक यहां पर स्टाफ रख रहे हैं और हमने उनको प्रमोशन दी है,

जारी श्रीमती के0एस0

31.03.2016/1540/केएस/डीसी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी---

जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको हम एसोशिएट प्रोफेसर बनाकर भेज रहे हैं और जो एसोशिएट प्रोफेसर है उनको प्रोफेसर बना कर भेज रहे हैं और we have given them option, it for them to take the option or refuse the option उनको जबरदस्ती कम्पैल नहीं कर रहे हैं। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज से सिर्फ जितने सरप्लस थे, मैडिकल काउंसिल ने अब कुछ प्रोसिज़र बदला है, उसके मुताबिक हमने कोशिश की है कि वहां से कम से कम किए जाएं और कुछ हमारे स्पेशलिस्ट जो दस-दस, 12-12 साल से काम कर रहे थे उनको भी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया है। 1985 से लेकर स्पेशलिस्टों का एक अलग कैडर होता था। स्पेशलिस्ट लगाते थे और उनकी नाईट डियुटियां लगती थीं। उनको एमरजेंसी में कॉल करते थे। 1991 में यह स्पेशलिस्ट कैडर और जी.डी.ओ. कैडर इकट्ठा कर दिया। अब स्पेशलिस्ट तो एम.ओ. ही है एक एम.ओ., एम.बी.बी.एस. है और एक एम.ओ. पोस्ट ग्रेजुएट है। इसलिए हमारी कोशिश है कि रीज़नल हॉस्पिटल में हम हर स्पेशलिटी के दो-दो पोस्ट ग्रेजुएट लगा रहे हैं,

पी.जी. डॉक्टरज़ लगा रहे हैं और जोनल हॉस्पिटल में तीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नल इन्द्र सिंह जी ने कहा है और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी हमें डायरेक्शन दी है कि सरकाघाट में एक तो आपके गाईनेकॉलोजिस्ट की जरूरत है, सर्जन की जरूरत है, तीन स्पेशलिस्ट की जरूरत है। देहरा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही हमारे पी.जी. आएं सिविल हॉस्पिटलों में हम पूरा स्टाफ लगाने की कोशिश करेंगे। गोहर की बात जयराम जी ने भी की है और मुझे भी ख्याल है, वहां भी हम डॉक्टर लगाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने मामले उठाए हैं, अगर मैं एक-एक के बारे में कहूं तो शायद ज्यादा समय लग जाएगा लेकिन हमारी कोशिश है, हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि हमारी पी.जी. की सीटें बढ़ाई जाए। एक खुशी की बात है कि पिछली बार हमारे दोनों कॉलेजों की सीटे एम.सी.आई. ने घटा दी थी। हमने बड़ी मेहनत करके उन सीटों को फिर 100-100 सीटें रीस्टोर दोनों मैडिकल कॉलेजों में की है और हमारी कोशिश है, हमने मामला

31.03.2016/1540/केएस/डीसी/2

उठाया था कि दोनों में डेढ़ सौ सीटें कर दी जाए लेकिन हमारी 100 सीटें भी खतरे में पड़ी थी। मैं गुलाम नवी आजाद जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उस वक्त उन्होंने एक प्रोविज़न किया था कि जहां आपके बैड स्ट्रेंथ ठीक हैं वहां आप डेढ़ सौ सीटें उसमें चला सकते हैं लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली है। इसी तरह बिन्दल जी ने सुपर सैपशलिटी के बारे में कहा, यह ठीक है कि डेढ़ सौ करोड़ रुपये का सुपर स्पेशलिटी वार्ड डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज में लगा। उसमें 20 करोड़ रु० हमारा था और 130 करोड़ रु० भारत सरकार के थे। शिलान्यास भी गुलाम नवी आजाद जी ने किया और उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया। उसके अलावा जो वहां इक्विपमेंट आना था, 45 करोड़ रु० की बिल्डिंग खड़ी है, इक्विपमेंट भी एच.एल.एल. कम्पनी ने देना था, मैं तीन बार दिल्ली में मीटिंग कर आया तीन बार उनका एम.डी बुलाया। मैं नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं उन्होंने भी कहा कि हिमाचल मेरा अपना राज्य है, इसमें आप जल्दी से जल्दी इक्विपमेंट दें। उन्होंने हमें कहा था कि 31 मार्च तक हम सारे इक्विपमेंट इन्स्टॉल कर देंगे लेकिन अभी कुछ इक्विपमेंट्स आए हैं जैसे कैथ लैब

वगैरह है वे वहां पहुंच गई है। मुझे विश्वास है कि जब इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, मशीनरी लग जाएगी तो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसमें हमने स्टाफ भी दे दिया है, सुपर स्पेशलिस्ट भी वहां लगा दिए गए हैं। इसके अलावा आपने ई.एस.आई. मण्डी कॉलेज के बारे में कहा। जय राम जी ने कहा कि मण्डी की नोटिफिकेशन कर दी थी। आपने जाते-जाते नोटिफिकेशन तो कर दी थी। नोटिफिकेशन नहीं थी, वह पक्की नोटिफिकेशन थी और प्रिंसिपल भी लगा दिया था। जगह भी ठूँठ ली थी लेकिन जैसे ही यह सरकार बदली वह खटाई में पड़ गया। और माननीय धूमल साहब भी जानते हैं इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब हमारे कांग्रेस के लोग चार महीने चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठे उसके बाद लेबर मिनिस्ट्री ने, इन्होंने भी एफर्ट्स किए। इन्होंने भमरोट्टू में जो एनिमल हसबैंडरी की जमीन थी वह दी और शिलान्यास भी कराया उस वक्त ऑस्कर फर्नांडिस जी आए।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

31.3.2016/1545/av/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री----- जारी

यह भी संयोग देखिए कि ऑस्कर फर्नांडिस ने ही शिलान्यास किया और पिछले साल 5 मार्च को ऑस्कर फर्नांडिस ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। आप (श्री महेन्द्र सिंह जी को कहा।) उस वक्त वहां पर मौजूद थे या नहीं थे लेकिन मैंने उनको कहा था कि आप इस ई०एस०आई०सी० को हर हालत में इसी साल शुरू करने की कोशिश करें। मगर जैसे ही एन०डी०ए० की सरकार बनी, मैंने कहा है। मैंने पहले भी कहा है। आज भी उन्होंने हमें एक चिट्ठी लिखी है कि हम इसको नहीं चलाना चाहते हैं। The Labour Ministry has taken a different stand. It is a policy decision which they have taken that we are not going to run any medical college in the country. टोटल 12 थे, लेकिन उस वक्त हमने फिर कहा। We came forward. हमने चिट्ठी लिखी, मुख्य मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी और केबिनेट में इसको एप्रूवल भी दे दी कि हम इसको टेक ओवर कर लेंगे। इसको टेक ओवर करने की पूरी बात हो चुकी है। इसमें झगड़ा

सिर्फ इन्ड्रस्ट का है। हम 285 करोड़ रुपये देने को तैयार है मगर वह चाहते हैं कि 285 करोड़ पर इन्ड्रस्ट दो जब तक पैसा पूरा नहीं हो जाता। सिर्फ इन्ड्रस्ट की बात है और मैंने कहा कि हम इन्ड्रस्ट देने को तैयार नहीं है। मैं फिर दिल्ली जाऊंगा और वहां पर दत्तात्रे जी से बात करूंगा। दत्तात्रे जी बहुत अच्छे हैं और मददगार भी है। मैं चाहूंगा कि धूमल साहब भी उनसे बात करें कि कम-से-कम हमारा इन्ड्रस्ट माफ करें। उस कॉलेज को हम कैसे चलायेंगे जब उन्होंने हमें इसे हैंड ओवर ही नहीं किया है। अभी बाकायदा हैंड ओवर होगा। हमने कहा कि आप लीज पर ले लो, हम 99 साल के लिए लीज पर देना चाहते हैं। वहां पर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा इनफ्रास्ट्रक्चर बना है। हम चाहते हैं कि उस कॉलेज को जल्दी-से-जल्दी विधिवत तौर पर शुरू कर दें। जहां तक तीन मेडिकल कॉलेज की बात है, अब आप कहेंगे कि यू0पी0ए0 सरकार का नाम लेते हैं। अब जिस सरकार ने दिया है उसी का नाम लेंगे। वर्तमान में एन0डी0ए0 सरकार पैसा दे रही है तो मैं उसके लिए नड्डा साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने 12 करोड़ रुपये नाहन

31.3.2016/1545/av/AG/2

के लिए दिए हैं और 9 करोड़ रुपये चम्बा के लिए दिए हैं। अभी हमीरपुर के लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया क्योंकि फोरैस्ट कनजर्वेशन ऐक्ट के तहत वहां जमीन का थोड़ा चक्र था। हमने वह केस मंजूरी के लिए भेजा है। हमीरपुर कॉलेज

भी जल्दी चले, उसके लिए हमारे प्रयास जारी है। हमने केबिनेट से इन तीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 117 पोस्टों की अप्रूवल ले ली है और हम ओपन मार्किट से भी डॉक्टर लेंगे। जहां तक सोसायटी की बात कही गई है तो इन कॉलेजिज को सोसायटी बनाकर चलाने के लिए हम निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त सैल्फ फाइनेंसिंग बेसिज पर हम कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जैसे हमारे दो कॉलेजों में एन0आर0आई0 की तीन-तीन सीटें हैं। उनसे दस-दस लाख रुपये लेते हैं, वहां हम 15-15 सीटें कर सकते हैं। बच्चों की थोड़ी सी फीस बढ़ा सकते हैं। वहां मौलाना में जब लोग 40-40 लाख रुपये दे रहे हैं तो हमारे लोग दो-तीन लाख रुपये देकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट क्यों नहीं लेंगे। वैसे अभी यह फीस पैटर्न डिसाइड नहीं हुआ है। इस बारे

में केबिनेट फैसला करेगी। हम चाहते हैं कि यह कॉलेज विधिवत तौर पर चले, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक (---व्यवधान---) आप (श्री हंस राज को कहा।) फिक्र न करें, चम्बा का तो विशेष ख्याल है। (---व्यवधान---) चुराह चम्बा जिला में आता है कि नहीं? यह चम्बा से बाहर तो नहीं है? चुराह का भी ख्याल है, तीसा का भी ख्याल है और बैरागढ़ का भी ख्याल है। आप फिक्र न करो, मैं सब जगह गया हूं और रहा भी हूं। चम्बा में ही है और हमें चुराह का ख्याल है, तीसा होस्पिटल का भी ख्याल है। हमारे पास जैसे ही डॉक्टर उपलब्ध होंगे वहां भी लगाये जायेंगे। यहां पर विजय अग्निहोत्री जी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में कहा था कि उसमें रिन्युल नहीं हो रहा है। इस बारे में सरकार ने अब अंतिम फैसला कर दिया है और इसको लाइफ इनश्योरेंस कम्पनी को दिया है। अब हर चार महीने के बाद प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में रिन्युल का कैम्प रखा

31.3.2016/1545/av/AG/3

जायेगा। हिमाचल प्रदेश आज देश में शायद पहला राज्य है जहां पर केपिटा 26000 रुपये स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हो रहे हैं। This is the highest in the country, मैं आपसे यह शेयर करना चाहता हूं। दूसरे, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि (---व्यवधान---) महेन्द्र सिंह जी को तो कुछ नज़र ही नहीं आता। बाकी सबने अच्छे सुझाव दिए।

टीसी द्वारा जारी

31032016/1550/AG-TCV/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे इंस्टीट्यूशन खोलने की बात है, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 2,990 व्यक्तियों पर एक स्वास्थ्य संस्था खुली है।

जबकि नेशनल एवरेज़ 5,615 है। हमारे प्राईमरी हैल्थ सेंटर 516 है और 12,778 लोगों पर एक प्राईमरी हैल्थ सेंटर खोला जाता है और सारे देश की एवरेज़ 34,641 है। कॉम्युनिटी हैल्थ सेंटर हमारे 75 है जोकि 80,208 की आबादी पर एक कॉम्युनिटी हैल्थ सेंटर है जबकि देश में 1,72,000 की जनसंख्या पर एक कॉम्युनिटी हैल्थ सेंटर खोला जाता है। इसी वज़ह से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी है। दूसरे, 'टैली मैडिसन' देश में पहली बार शुरू हो रही है। हमने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पिति, सिरमौर, चम्बा, चौपाल और भरमौर के दूर दराज क्षेत्रों में टैली मैडिसन की सुविधा पी0पी0पी0 मोड़ पर शुरू की है। उसके तहत भी काफी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कोई भी मरीज़ आता है डॉक्टर दिल्ली में बात करता है और वहां से डॉक्टर बताता है कि इस पेशेंट को ये मैडिसन दे दो। इससे भी ज्यादा ट्रीटमेंट हो रही है। जहां तक आशा वर्कर की बात है हम आशा वर्कर को मु0 1000/- रूपया हर महीना दे रहे हैं और उसके बाद जो ज्यादा काम करती है, ज्यादा डिलीवरी करवाती है, ज्यादा प्रेगनेंट औरतों की रिपोर्ट देती है, उसको उसके मुताबिक ज्यादा मानदेय दिया जाता है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में भी हमने 7500 आशा वर्कर लगाई है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमने इनको 2007 में लगाना शुरू किया था, जिसको आपने यह कह कर कि हमको जरूरत नहीं है, डिस-कॉंटीन्यु कर दिया। हम अब भी फाईनेंस डिपार्टमेंट गये थे तो उन्होंने कहा कि यह कार्य मेल हैल्थ/फिमेल हैल्थ वर्कर कर रहे हैं इसलिए आशा वर्कर की कोई जरूरत नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि आशा वर्कर को लगाईये। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जहां तक आई0जी0एम0सी0 की बात है और श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा कि यहां 3-3 पेशेंट एक-एक बैड पर है, 3 तो नहीं लेकिन 2 मैं मान सकता हूं। आई0जी0एम0सी0 में 1021 बैडज़ है यह स्टेट हॉस्पिटल है और सबसे पुराना हॉस्पिटल है। इस पर वर्क-लोड बहुत ज्यादा है। इसलिए हमने एक फैसला किया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने ओ0पी0डी0 ब्लॉक जो 6-7 मंजिल का बन रहा है, उसको 56 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया है। मैं धन्यवाद करता हूं भारत सरकार का 'प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के अन्तर्गत अब आई0जी0एम0सी0 के लिए भी 1.50 करोड़ रूपया मिल गया है। उसमें भी सुपर

31032016/1550/AG-TCV/2

स्पैश्लिटी हॉस्पिटल खोला जाएगा जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। Himachal Pradesh is the first State in the country to establish this Health Commission. जिसमें हमने एम्ज़ और पी0जी0आई0 के एम्मीनेंट डॉक्टर शामिल किए हैं। (..व्यवधान..) आपको क्लेरीफिकेशन देंगे आप चिंता न करें। अध्यक्ष महोदय, हैल्थ कमिश्न ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट को हम कैबिनेट में लेकर जा रहे हैं। Himachal Pradesh is the first State in the country to provide best medical facilities to the people of Himachal Pradesh that I assure this Hon'ble House.

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। हमने 3 जिलों में ऑपरेशन डायलेसिस की सुविधा शुरू कर दी है। हमने धर्मशाला, मण्डी और सोलन में डायलेसिस की सुविधा शुरू कर दी है। अब भारत सरकार के बजट में भी आया है कि हर जिले में डायलेसिस खोलेंगे। कुल्लू में भी डायलेसिस चलाने की प्रक्रिया जारी है। हम चाहते हैं कि हर जिले में डायलेसिस की सुविधा उपलब्ध की जाये। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमने खुली सिगरेट पर भी बैन कर दिया है। मैं जब हैल्थ मिनिस्टर बना, मैं कैंसर हॉस्पिटल में गया और कैंसर के एक-एक पेशेंट से बात की। डॉक्टरों ने भी यह बात कही है कि 80 परसेंट पेशेंट या तो तम्बाखू खाने से या सिगरेट पीने से कैंसर के मरीज हुए थे,

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

31.03.2016/1555/RKS/AS/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री...जारी

डॉक्टरों ने भी यह बात कही है कि 80% मरीज तम्बाकू खाने से या सिगरेट पीने से कैंसर के मरीज हुए थे। इसलिए हमने यह फैसला लिया है और कैबिनेट ने भी इसकी अप्रूवल दी है कि जो बच्चे सिंगल सिगरेट खरीदकर पीते हैं, उन्हें धीरे-धीरे स्मोकिंग की आदत पड़ जाती है इसलिए हमने सिंगल सिगरेट बेचने पर बैन लगाया है। उसके

लिए हम लैजिस्लेशन ला रहे हैं ताकि जो रिटेलर सिगरेट बेच रहा है वह अपनी पंचायत में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। इसी तरह से जो मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस, मैं कहना चाहूंगा कि Himachal has become the pharmaceutical hub in the Country. अध्यक्ष महोदय, जो हिमाचल प्रदेश में लगभग 26 हजार करोड़ की दवाइयां बन रही हैं। उसमें से 9 हजार 500 करोड़ रुपए की दवाइयां विदेशों को एक्सपोर्ट हो रही हैं। अच्छी दवाइयां आ रही हैं। लेकिन मैं फिर भी यह मानकर चलता हूँ कि दवाइयों में there should be no compromise with the quality of medicine बेहतर मेडिसिन मिले। 56 किस्म की दवाइयां जो लाइफ सेविंग दवाइयां हैं हमने हर हॉस्पिटल में, हर स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध करवाई हैं, जोकि लोगों को फ्री मिल रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने जो यहां पर बजट पेश किया है Himachal is the first State in the Country हिमाचल का हर व्यक्ति हेल्थ कवर में आ गया है। पहले तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में आई.आर.डी.पी. के लोग आते थे लेकिन अब कुछ और लोग भी शामिल कर दिए गए हैं। कुछ लोगों का मैडिकल रिम्बर्समेंट होता है, कुछ बच्चों को हम मुफ्त में दवाइयां देते हैं। इसके अलावा जो शेष बचते हैं उन्हें एक दिन का एक रुपया जमा करवाना होता है यानी साल में 365 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। अगर उनका हार्ट का ऑपरेशन होता है तो 1 लाख 75 हजार रुपए तक की राशि उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। यह एक बहुत बड़ी योजना है जो कि पूरे देश में कहीं भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश, देश में पहला राज्य है जिसने यह योजना शुरू की है। इसी तरह से हमने कार्डियोलॉजी की सुपर स्पेशलाइजेशन की सीटों को 2 से 4 करने के लिए मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से अनुरोध किया है। यह मामला उनके पास

31.03.2016/1555/RKS/AS/2

विचारधीन है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस पर अमल करेंगे। इस समय हमारे हॉस्पिटलों में ऑपन हार्ट सर्जरी बड़े सक्सैसफुल तरीके से हो रही है। इसके साथ ऑप्टिक एंड एंडोस्कोपी, सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई., Phacoemulsification की सर्जरी हो रही है। कम रेट पर गामा कैमरा द्वारा पेसमेकर, बाईपास सर्जरी और डाइलिसिस की सुविधाएं रोगियों को उपलब्ध करवाई जा रही है। 100 ट्रामा वैन जोकि

न्यूनतम उपचार उपकरणों से लैस है, इस तरह की बहुत सी सुविधाएं हमने उपलब्ध करवाई हैं। लेकिन फिर भी मांग बढ़ती जा रही है। जैसा कि माननीय सदस्य डॉ० बिन्दल जी ने कहा था कि पहले जब रोगी आता था तो वह जो डॉक्टर ओ.पी.डी. में बैठता था उससे उपचार करवा कर चला जाता था। लेकिन आज लोग इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि वे पहले पूछते हैं कि क्या कोई स्पेशलिस्ट बैठा है? अगर स्पेशलिस्ट बैठा हो तो वे उसी से ही अपना उपचार करवाते हैं। आजकल मरीज एम.बी.बी.एस. के पास नहीं जाते हैं वे स्पेशलिस्ट को ही चैक करवाते हैं। हमारी यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर लिए जाएं। अगर दूसरे राज्य से कोई डॉक्टर आना चाहे तो हम उन्हें यहां लगाने का पूरा प्रयास करते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के बजट में भी काफी इजाफा हो रहा है। जैसे कि माननीय सदस्यों ने यहां पर कई भवनों की बात की। हमने पैसा बिल्डिंग बनाने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को दिया है। हमने कहा है कि जिन बिल्डिंगों का कार्य 70% पूरा हो चुका है उन बिल्डिंगों को आप जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। इसके लिए हम पैसा उपलब्ध करवा देंगे। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंगें बनकर तैयार हो जाएं। डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ के क्वार्टर बनें ताकि लोगों को बिना बिलम्ब के वहां पर सुविधा मिल सकें। सीमित साधनों के बावजूद भी हिमाचल सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी सुविधाएं दे रही है। हिमाचल सरकार प्रदेश के लोगों को अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए वचनबद्ध, कटिबद्ध है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन माननीय सदस्यों ने कट मोशन दिए हैं वे कृपया मेरे उत्तरों को ध्यान में रखते हुए अपने कट मोशन वापिस करें।

31.03.2016/1555/RKS/AS/3

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य अपने-अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेंगे?

श्री एस.एल.एस....द्वारा जारी

31.03.2016/1600/SLS-AS-1

अध्यक्ष महोदय ...जारी

महेन्द्र सिंह जी, आप क्या क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं?

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं, आप जो डी.टाईप का सिलेंडर ले रहे हैं वह मण्डी वाले से 205 रुपये में ले रहे हैं; जब आई.जी.एम.सी. में आपका प्लांट लगेगा तो फिर आप उसे 255 रुपये में क्यों ले रहे हैं? आपने कहा कि मुझे किसी आदमी ने ब्रीफ किया है। हमने तो कहा ही नहीं कि हमें किसी ने ब्रीफ किया है। हमने तो कहा ही नहीं कि यह मैटर हाईकोर्ट में गया या नहीं गया। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप 205 रुपये के सिलेंडर को 255 रुपये में क्यों ले रहे हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो सिलेंडर हम 205 रुपये में लेते थे उसके लिए हमारा ट्रक शिमला से मण्डी जाता था और एक दिन मण्डी में रुककर ट्रक गैस सिलेंडर लेकर वापिस आता था। मैंने अभी उसकी कैलकुलेशन बताई कि वह हमें काफी महंगा पड़ रहा था। जब हमने औक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया और वह प्लांट एक दिन में आई.जी.एम.सी., डी.डी.यू. और कमला नेहरू हॉस्पिटल को 250 सिलेंडर देगा तो सही में ही वह लाभदायक रहेगा। मैंने कहा कि इस हिसाब से हम एक दिन के 85 रुपये एक सिलेंडर पर बचा रहे हैं और मैंने कहा कि इससे हम 1.80 करोड़ रुपये 5 साल में बचाएंगे। फिर इनको इस बात से क्या समस्या है? पहले इन्होंने झूठ बोला कि बिजली का बिल विभाग देगा। इन्होंने उस वक्त अपने भाषण में यह भी कहा कि उसको अकॉमोडेशन विभाग देगा जबकि सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर उसी का होगा और बिजली का ट्रांसफार्मर भी वही लगाएगा। हमने कुछ नहीं देना है। इसलिए हमें इसमें करोड़ों रुपये का लाभ हो रहा है।

अध्यक्ष : बिंदल जी, आप संतुष्ट नहीं है तो आप चर्चा मत कीजिए, केवल क्लैरिफिकेशन मांगिए।

31.03.2016/1600/SLS-AS-2

डॉ० राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कुछ मुद्दों को गलत ढंग से ट्विस्ट कर रहे हैं। मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। आपने अभी फिर कहा कि पी.जी. की सीटें जो नहीं बढ़ी हैं, उसके लिए हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि वह हमारी

पी.जी. की सीटें बढ़ाएं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : मैंने एम.सी.आई. कहा है।

डॉ० राजीव बिन्दल : आपने केंद्र सरकार कहा है, भले ही आप रिकॉर्ड चेक कर लें। बाहर मीडिया में भी आप केंद्र सरकार ही कहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार का पी.जी. या यू.जी. की सीटों से कोई लेना-देना नहीं है। एम.सी.आई. की कंडिशनज को पूरा करना आपका दायित्व है। आप वह पूरा करेंगे तो आपको सीटें मिलेंगी। दूसरे, आपने पी.एच.सी., सी.एच.सी. और सिविल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की बात की है जो एक अच्छी बात है। सिविल हॉस्पिटल कितने बैड्स और कितने डॉक्टरों वाला होगा, सी.एच.सी. कितने का होगा, इसके नार्मज अभी तक तय नहीं किए गए हैं। इसलिए केवल राजनीतिक घोषणाएं करने के बजाये इसके नार्मज भी तय करें। ... (व्यवधान)... नहीं, मुख्य मंत्री जी, इसके नार्मज नहीं हैं। मंत्री जी इस बात को मानेंगे कि नार्मज बनाने की ज़रूरत है। जिसको हम सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं उनमें 10 बैड वाला सिविल हॉस्पिटल भी हिमाचल के अंदर है और 100 बैड का सिविल हॉस्पिटल भी हिमाचल में है। तीसरा प्वायंट है कि आपने कहा कि सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने किया और नेर चौक का उद्घाटन भी आपके केंद्रीय मंत्री ने किया। दोनों उद्घाटन आपने इनकंपलीट स्थिति में करवाए जिसका उत्तर आपने अभी तक नहीं दिया। आपने स्वयं माना है कि आज भी वहां हमारे पास इक्युपमेंट्स नहीं आए हैं और वह चालू नहीं हुआ है। इसी तरह से नेर चौक हॉस्पिटल भी चालू नहीं हुआ है। यह आपको स्वीकार करना चाहिए कि हमने इसको समय से पहले केवल चुनाव के मद्देनज़र किया। अंत में आपने टैलि-मैडिशन की बात की है। आपको स्मरण कराता हूं कि आपकी पिछली सरकार ने, हमारी नहीं बल्कि आपकी पिछली सरकार ने 19 स्थानों

31.03.2016/1600/SLS-AS-3

पर टैलि-मैडिशन शुरू की थी और वह इक्युपमेंट आज भी as it is 19 स्थानों पर वेस्ट पड़े हैं। कृपया जब भी आप टैलि-मैडिशन का काम करें, उन इक्युपमेंट को भी इस्तेमाल कर लें क्योंकि यह इक्युपमेंट्स सब जगह पर बेकार पड़े हुए हैं। यही पांच विषय मैंने

स्पष्टीकरण के लिए आपके सामने रखने थे।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण का उत्तर देंगे और उसके बाद अब कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा।

Health and Family Welfare Minister: Hon'ble Speaker, Sir, under the Medical Council of India Act, the Medical Council of India recommends to the Government of India, Ministry of Health Family Welfare and Ministry of Health and Family Welfare gives the permission. The Medical Council of India only recommends.

Continued by Shri RG in hindi..

31/03/2016/1605/RG/DC/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अंग्रेजी के पश्चात----क्रमागत

तो मैंने कोई गलत नहीं कहा, यह मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं और एम.सी.आई. कोई भारत सरकार या वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय से ऊपर है? That is under the Ministry of Health. जहां तक Staffing Norms का सवाल है वे सरकार ने बाकायदा नोटिफाई कर दिए हैं। उसमें Health sub-Centre, PHC, CHC और पचास बिस्तरों पर कितने डॉक्टर लगे, कितना पैरा-मैडिकल स्टाफ होगा, सौ बिस्तरों पर कितना स्टाफ लगेगा और दो सौ बिस्तरों पर कितना स्टाफ होगा। It has already been notified by the Government and approved by the Cabinet which was headed by the Hon'ble Chief Minister. इसलिए हमने नॉर्म बाकायदा फिक्स किए हैं। मैंने माना है कि डॉक्टर की कमी है और उनको पूरा करने के लिए अभी हमने 133 डॉक्टर लगाए हैं जिनकी पोस्टिंग हुई है। परसों वॉक-इन-इन्टरव्यू में 40 डॉक्टर और आए हैं और उनको भी लगाने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि अगर Staffing Pattern के मुताबिक यदि हमें डॉक्टर की संख्या देनी होगी, तो अभी 500 डॉक्टर और चाहिए। हमारी कोशिश है कि कम-से-कम हर पी.एच.सी. में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक क्लास फोर होना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। धन्यवाद।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे?

तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री महेन्द्र सिंह, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, इन्द्र सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह और डॉ. राजीव बिन्दल के कटौती प्रस्ताव वापस लिए जाएं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : हां।

---(व्यवधान)---

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए।)

31/03/2016/1605/RG/DC/2

क्या आप अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेंगे?व्यवधान..... क्या आपके कटौती प्रस्ताव वापिस किए जाएं। ---(व्यवधान)----मैंने बिल्कुल ठीक बोला है।(व्यवधान).... आपको कनवे गलत हुआ है। You have been conveyed wrongly, जो मैंने बोला है।(व्यवधान).... मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट बैठिये। मैं पूछ रहा हूं,

तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री महेन्द्र सिंह, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, इन्द्र सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह और डॉ. राजीव बिन्दल के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं।

जो इसके पक्ष में है, हां कहें,

जो इसके विरुद्ध हैं न कहें,
न की न की न में रही

प्रस्ताव गिर गया

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में मांग संख्या-9, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 16,18,39,36,000/-रुपये और 53,26,50,000/-रुपये की राशियां संबंधित सेवाओं के लिए राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

(प्रस्ताव स्वीकार)

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

एम.एस. द्वारा जारी

31/03/2016/1610/MS/DC/1

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, पहले यह होता है कि क्या आप अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेंगे।

अध्यक्ष: इन्होंने मना कर दिया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: तो आपने कहा कि क्या आप अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेंगे तो हमने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, "हां"। तो इनके कटौती प्रस्ताव वापिस हुए। हमने यह नहीं कहा कि कटौती प्रस्ताव मंजूर कर दिए जाएं। ऐसा भी हो सकता है।

अध्यक्ष: इन्होंने यह गलत अण्डरस्टैंड किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: इसलिए जो ये इस तरीके से बात कर रहे हैं this is nothing but sign of frustration with the BJP.

Chief Minister: Speaker Sir, I suggest those who are in favour आप कहिए they may stand and count us.

अध्यक्ष: आपने यह कहा कि स्वीकार न किए जाएं और कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए। ये हुआ है। They have misunderstood this thing. ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने गलत नहीं बोला है। जो आपने बोलना था वह इन्होंने बोल दिया है। आप लोग बैठ जाइए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : हम कह रहे हैं कि वोटिंग करवाई जाए।

संसदीय कार्यमंत्री: 41 लोग इस समय सदन में बैठे हैं। शोर-शराबे से सरकारें नहीं गिरा करतीं। सरकारें मैजोरिटी से चलती हैं।

31/03/2016/1610/MS/DC/2

अध्यक्ष: कृपया बैठ जाइए।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या: 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः मु016,18,39,36,000/-रुपये एवं मु053,26,50,000/-रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अध्यक्ष: अब मैं गिलोटिन एप्लाइ कर रहा हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः मु02,53,85,73,07,000/- (राजस्व) एवं मु036,69,03,70,000/- (पूंजी) की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः मु02,53,85,73,07,000/- (राजस्व) एवं मु036,69,03,70,000/- (पूंजी) की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं?

(प्रस्ताव स्वीकार)

मांगे पूर्ण रूप से पारित हुईं।

31/03/2016/1610/MS/DC/3

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्ष: अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष: तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**(प्रस्ताव स्वीकार)
अनुमति दी गई।**

अब माननीय मुख्य मंत्री "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2)" को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2)" को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष श्री जे०के० द्वारा-----

31.03.2016/1615/जेएस/एजी/1

अध्यक्ष: हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2) पुरस्थापित हुआ।

विचार

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

31.03.2016/1615/जेएस/एजी/2

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

पारण:

अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2) को पारित जाए।

अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2) को पारित जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-2) पारित हुआ।

31.03.2016/1615/जेएस/एजी/3

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन का आभारी हूँ जिन्होंने कि भारी बहुमत से जो हमारा अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट है, उसको पारित किया। आज अध्यक्ष जी, आपके समेत कुल 41 सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में यहां पर उपस्थित है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दूर-दूर से आकर यहां पर इस सभा में भाग लिया और अपने मतों के द्वारा जो हमारा फाईनांस बिल है उसको पारित किया।

अध्यक्ष: अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार 1 अप्रैल, 2016 के 11.00 बजे

Himachal Pradesh Vidhan Sabha Debates

Uncorrected and unedited/Not for Publication

Dated: Thursday, March 31, 2016

पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004
दिनांक: 31 मार्च, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा
सचिव।